

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ROW में पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.9627 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/WATER/151448/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB 028/2023-BHO/ दिनांक 28.06.2023

—0—

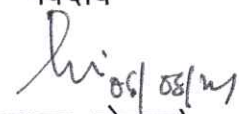
कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 14 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Administrative approval/ sanction letter of the project shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.09.2020 प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
2	Full KML file of layout plan of forest area and non forest area (with full project KML file) shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा वनक्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र की पूर्ण KML file ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।
3	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/ uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली के हस्ताक्षर सहित justification ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।
4	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, Road, TL etc) shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
5	It is a new pipeline project, alternative alignment of with comparative statement shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया है कि ऑनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक D में लेख किया है कि प्रकरण में अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।
6	KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण में अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा Detailed muck calculation and muck disposal scheme प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।

8	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।
9	As per covering letter of proposal, the CA area proposed over 20.80 ha but CA scheme is only for 17.00 ha. It shall be clarified.	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा सिंगरौली जिले के खसरा क्रमांक 245 में 20.80 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 17.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि वृक्षारोपण योजना बनाई गई है। इस 17.00 हेक्टेयर योजना में इस प्रकरण के अतिरिक्त अन्य 02 प्रकरण भी सम्मिलित हैं। जिसका ऑनलाईन क्रमांक / 151757 एवं 426197 है।
10	CA scheme is not uploaded on web portal.	वन मण्डलाधिकारी, सिंगरौली द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड कर दी गई है।
11	As per the covering letter, the pipeline is proposed along roadside but as per the KML file many of part of pipeline does not proposed along the road. It shall be rectified.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित पाईप लाइन Non RoW में होने के कारण वनभूमि के बदले गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है।
12	As per the DSS analysis, the proposed CA area have 7.00 ha VDF and 7.00 ha have MDF.	प्रकरण में आपके द्वारा दिए निर्देशानुसार 7.00 ha VDF and 7.00 ha MDF होने के कारण प्रकरण में दी गई 17.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर 3000 पौधे एवं शेष 14000 पौधों की रोपण योजना परिक्षेत्र माड़ा के कक्ष क्रमांक पीएफ-421 में बनाई गई है, जो कि ऑनलाईन अपलोड है।
13	The proposed diversion area is part of elephant corridor, so comments of CWLW, M.P. shall be submitted.	प्रकरण में प्रभावित वनभूमि संजय टाइगर रिजर्व के हाथी कॉरीडोर में होने के कारण मुख्य वन्यप्राणी अरिक्क एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) ने आशासकीय टीप क्रमांक / 729 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अभिमत प्रदान किया गया है, छायाप्रति संलग्न है।
14	As per the KML of all four proposals (FP/MP/ WATER / 151448/2022, FP/MP/ WATER / 151757/2022 and FP/MP/ WATER / 144394 / 2022 and FP/MP/ WATER / 154848 / 2022), it seems that all proposals are co-related to each other. Why a consolidated proposal is not submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रपोजल नम्बर (FP/MP/WATER/ 154848/ 2022) is belongs to Waidhan-2 Scheme and Rest 2 Proposals are associated with Gond Devsar MVS for Gravity and Distribution Main all Pipeline and All these Proposals are Applied Zone wise.

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

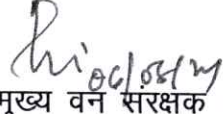
संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 (एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1204/2022/10-11/4200
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 6-8-24

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
 3. महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन संरक्षक रीवा वन वृत्त रीवा

केन्द्रीय विद्यालय रोड वन विश्राम गृह जयंती कुंज रीवा म0प्र0
Phone No.07662- 299198, 297335 E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in,

कर्मोक्त/मा.चि./2024/5501

रीवा दिनांक 12.07.2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल म0प्र0

विषय:-

सिंगरौली जिले में गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ROW में पाइप लाईन बिछाने हेतु 4.9627 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित,सिंगरौली को उपयोग पर देने वाकत। (FP/MP/WATER/151448/2022)

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्र./एफ-5/ 1204/2022/10-11/2681 दि. 30.06.2023
2. म0प्र030सिंगरौली का पत्र क्रमांक/तक/4169 दिनांक 01.07.2024

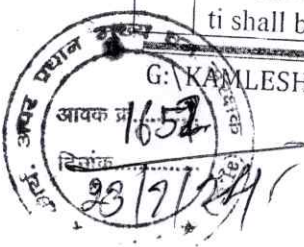
-----000-----

विषयानुगत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में 14 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी, जिसमें वन मण्डलाधिकारी,सिंगरौली द्वारा संदर्भित पत्र-2 से उक्त जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	बिन्दु	जानकारी
1	Administrative Approval/Sanction letter of the project shall be submitted/uploaded.	म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/एफ 16-21/2020/2/34/(2951) दिनांक 22 सितम्बर 2020 से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, छायाप्रति संलग्न है।
2	Full KML file of layout plan of Forest Area and Non Forest Area with full project KML files shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि KML file depicting Forest Area and Non Forest Area in Google Drive https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLJA7mrdLpe-n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive web
3	Justification for location of the project in forest land (Counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	Justification for location of the project में वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा Counter signed किया गया है, जिसकी प्रति अपलोड की जाकर संलग्न की गई है।
4	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, Road, TL etc.) shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा एमपीआरडीसी सीधी का पत्र क्रमांक 1832 दिनांक 05.08.2022 एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिंगरौली का पत्र क्रमांक 779 दिनांक 24.06.2022 द्वारा अनापत्ति प्राप्त की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
5	It is a new pipeline project, alternative alignment of with comparative statement shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदन के भाग-1 पैरा-डी में लेख किया गया है कि There is no alternative option is available
6	KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि It is allready Shown in Para-D of part-I proposal, where it is clearly mentioned no, it means there is no alternative option is available.
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	Detailed muck calculation and muck disposal scheme आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
8	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the lay out plan shall be submitted	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the lay out plan आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
9	As per covering latter of proposal the CA area proposed over 20.80ha. but CA scheme is only for 17.00ha. ti shall be clarified.	न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा आदेश दिनांक 13.12.2022 से आराजी खसरा क्रमांक 245 रकबा 20.80 हे. भूमि उपलब्ध कराई गई थी किन्तु उसमें से 17.00 हे. रकबा ही उपयुक्त पाये जाने के कारण न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक

G:\KAMLESH\d\Narendra\DM-section\dm-memo.docx

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



		55/अ-20(3)/ 2022-23 दिनांक 26 जून 2024 से उक्त आदेश को संशोधित कर 17 हे. भूमि वन विभाग को प्रदाय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
10	CA scheme is not uploaded on web portal.	CA scheme पोर्टल पर भाग-2 अपलोड कर दी गई है।
11	As per the covering letter, the pipeline is proposed along roadside but as per the KML file many of part of pipeline does not proposed along the road it shall be rectified.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित पाइप लाइन नान आरओडब्ल्यू में है, जिसके बदले सीए लैण्ड उपलब्ध कराई गई है।
12	As per the DSS analysis the proposed CA area have 7.00ha. VDF and 7.00ha. have MDF	DSS एनालिसिस में 7 हे. व्हीडीएफ और 7 हे. एमडीएफ पाये जाने पर उपलब्ध कराई गई 17 हे. भूमि में शेष बचे 3 हे. क्षेत्र पर 3000 पौधे तथा शेष 14 हे. वनभूमि में संशोधित रोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा के आदेश क्रमांक 151 दिनांक 27.06.2024 से जारी की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
13	The proposed diversion area is part of elephant corridor so comments of CWLW M.P. shall be submitted.	वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा लेखकर अवगत कराया गया है कि वन मण्डल सिंगरौली की वर्तमान प्रचलित कार्य आयोजना श्री राजीव मिश्रा भा0व0से0 सत्र 2019-20 से 2028-29 के आलेख भाग-2 के पृष्ठ क्रमांक 442 के अनुसार प्रस्तावित भूमि हाथी कारीडोर में सम्मिलित नहीं है।
14	As per the KML of all four proposals (FP/MP/WATER/151448/2022, FP/MP/WATER/151757/2022 and FP/MP/WATER/144394 /2022 and FP/MP/WATER/154848/2022) , it seems that all proposals are co related to each other why a consolidated proposal is not submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा लेखकर अवगत कराया गया है कि प्रपोजल नम्बर (FP/MP/WATER/154848/2022) is belongs to Waidhan-2 Scheme and Rest 2 Proposals are associated dwith Gond Devsar MVS for Garvity and Distribution Main all Pipeline and All these Proposals are Applied Zone wise.

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(राजेश कुमार राय)

भा.व.से.

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.

6

पृ0कमॉक/मा.चि./2024/ 5502
प्रतिलिपि-

रीवा दिनांक 12.07.2024

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.

12/7/24 3



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

सूचना का

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

अधिकार

क्र०/तक०/4159
प्रति,

बैठन, दिनांक 01-07-2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल

विषय:- सिंगरौली जिले में गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत आर.ओ.डब्ल्यू में पाईप लाइन बिछाने हेतु 4.9627 हे० वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। Proposal No. FP/MP/WATER/151448/2022

- संदर्भ:-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1204/2022/10-11/2681 दिनांक 30.06.2023
 2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB 028/2023 BHO दिनांक 28.06.2023
 3. महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित परि.क्रि.ई. सिंगरौली का पत्र क्रमांक/1820 दिनांक 10.07.2023

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (1) से प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 14 बिन्दुओं की जानकारी चाहा गया था।

संदर्भित पत्र (3) से आवेदक संस्थान से संबंधित बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर एवं बिन्दु क्रमांक 10, 12 एवं 13 की जानकारी तैयार कर संलग्न सम्प्रेषित है, जो निम्नानुसार है:-

क्र०	बिन्दु	वास्तविक जानकारी
10	CA Scheme is not uploaded on web portal	17.00 हे० की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
12	As per the DSS analysis, the proposed CA area have 7.00 ha VDF and 7.00 ha have MDF	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB 028/2023 BHO दिनांक 28.06.2023, से प्रकरण में 7 हे० Very Dense Forest और 7 हे० Moderately Dense Forest होने की आपत्ती लगाई गई थी। जिसके एवज में प्राप्त गैर वन भूमि रकबा 17.00 हे० में से 03.00 हे० एवं 14.00 हे० दुगने बिगड़े वन भूमि की कुल रकबा 17.00 की संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर दी गयी है, की प्रति संलग्न है।
13	The Proposed diversion area is part of elephant corridor, so comments of CWLW M.P. shall be submitted.	वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि कक्ष वन परिक्षेत्र बरगवां का कक्ष क्र० RF 235, 236, 237, 246, 244, 245, 234, 681, 247, 252, 578, 233, 239, 229, 230 एवं PF 664, 210, 209, 208, 207, 206, 213, 211, 219, 220, 221, 201, 202, 665, 115, 114, 116, 120, 121, 119 वनमण्डल में वर्तमान में प्रचलित कार्य आयोजना श्री राजीव मिश्रा भा.व.से. सत्र 2019-20 से 2028-29 के आलेख भाग-2 के पृष्ठ क्रमांक 442 के अनुसार हाथी कोरीडोर में सम्मिलित नहीं है, की प्रति संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ०क्र०/तक०/ ५१७०

सिंगरौली दिनांक ०१-०७-२०२५

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा म०प्र० की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परि.क्रि.ई. सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

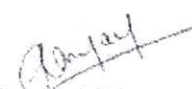
**Office of the General Manager
Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit, Jabalpur**

Regd. & Corp. Office: "D" Wing 2nd Floor, Vindhyaachal Bhawan, Bhopal-462004
(Website: www.mpjalnigam.co.in)

CIN-U41000MP2012SGC028798
E-Mail-gmmpjnmsingrauli@gmail.com)

Justification for locating the project component in forest land

The project namely "Gond Deosar Multi Village Scheme" is proposed to provide drinking water to 206 villages of Singrauli district taking Gond dam on river Gopad as source. To convey water to the villages, pipelines are required to be laid which passes through forest area at some places.


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
P.I.U., Singrauli

*Counter-signed without
going into technical
details of
project.*

जन मण्डल अध्यक्ष
जन मण्डल सिंगरेली

कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
(म.प्र. शासन का उपक्रम)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

कार्यालय : कक्ष क्र. 44, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, वैदना

CIN-U41000MP2012SGC028798

(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in)

gmmpjnmsingrauli@gmail.com)

क्रमांक 820 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2022
प्रति,

दिनांक 10/07/23

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली (म.प्र.)

विषय:- गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चाही गई जानकारी प्रेषित करने बाबत।

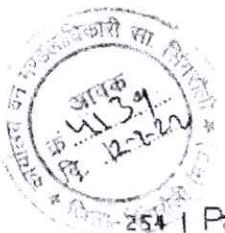
संदर्भ:-

1. प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151448/2022
2. तकनीकी अधिकारी पत्र क्र0/06 एमपीबी/028/2023-बीएचओ/ दिनांक 28-06-2023.
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), भोपाल का पत्र क्र0 2681 दिनांक 30-06-2023.
4. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1205 दिनांक 04.05.2023

--000--

विषयांतर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र क्र.2 के माध्यम से तालिक में वर्णित जानकारी चाही गई थी जो निम्नानुसार है:-

S.No.	Query	Reply
1	Administrative Approval/Sanction letter of the project shall be submitted/uploaded.	Enclosed
2	Complete KML file of layout plan of Forest Area and Non Forest Area (full project KML be submitted/uploaded).	KML file depicting Forest Area and Non Forest Area uploaded in Google Drive. (https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLJA7_mrdLpe-n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web)
3	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	Detailed Justification report Attached.
4	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, TL etc) shall be submitted.	No Objection Certificates from MPRDC and Railways is attached.
5	It is a new pipeline project, alternative alignment of with comparative statement shall be submitted.	It is already shown in Para-D of part-I proposal, where it is clearly mentioned "NO", it means there is no alternative option is available.
6	KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded.	It is already shown in Para-D of part-I proposal, where it is clearly mentioned "NO", it means there is no alternative option is available.
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	Total quantity of excavated material during laying of pipeline will be as follows.



		Calculation- Excavated Volume- $(49627 \times 1 \times 1.2) = 59552.4$ cum Pipe Volume - $(3.14 \times 1 \times 1 \times 49627) = 1558.2878$ cum Backfilled Soil - $(59552.4 - 1558.2878) = 57994.1122$ cum Remaining Muck (excavated soil - backfilled soil) = 1558.2878 Note: Excavated soil shall be backfilled and levelled. And Remaining muck (Equal to pipe volume) will be disposed off at available surplus revenue land 3.8 (20.8 - 17) ha. located at village pipri, teh: chitrangi khasra no. 245 allotted to MPJNM.
8	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan is shall be submitted.	Component wise breakup for 4.9627 ha. of pipeline network uploaded on Parivesh portal Part-1 (Point-B) & Google Drive (https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLJA7_mrdLpe-n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web).
9	As per covering letter of Proposal, the CA is proposed over 20.80 ha but CA scheme is only for 17.00 ha. It shall be clarified.	17 ha CA land is to be provided for the given proposals (Proposals- 144394 - 3.9589 ha. 151757 - 4.8057 ha. 151448 - 4.9627 ha. 154848 - 2.9455 ha. Total required Area - 16.6728 ha. But total 17 ha CA land has already been provided to forest.
10	CA Scheme is not uploaded on web portal	CA Scheme Shall be uploaded by DFO Singrauli.
11	As Per the Covering letter, the pipeline is proposed along roadside but as per KML file many of parts of pipeline are not along road.	The Proposed Pipeline is applied under Non-ROW & CA land for the same is provided.
12	As per the DSS analysis, the proposed CA Area has 7.00 ha VDF and 7.00 ha MDF. Rectified CA scheme shall be uploaded.	Comment on CA Scheme & VDF/MDF will be given by DFO Singrauli.
13	The proposed diversion area is part of Elephant corridor, So comments of CWLW M.P. shall be submitted.	Comment to be given by DFO Singrauli
14	As Per the kml of all four proposals (FP/MP/WATER/151757/2022 and FP/MP/WATER/144394/2022 and FP/MP/WATER/154848/2022), it seems that all proposals are co-related to each other. Why a Consolidated proposal is not submitted.	Proposal No. (FP/MP/WATER/154848/2022) is belongs to Waidhan-2 Scheme and Rest 2 Proposals are associated with Gond Devsar MVS for Garvity and Distribution Main Pipeline and All these Proposals are Applied Zone wise.

जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

[Signature]
महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली
दिनांक

पृ. क्रमांक /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023
प्रतिलिप:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. ओ.एस.डी., म.प्र. जल निगम मर्यादित भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

कार्यालय-कक्षा क्र. 44, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट पार्क, वैदना
(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in)

CIN: U41009MP2012SGC028798
Email: gmsingrauli.mpjn@mp.gov.in

क्रमांक 1205 /महा.प्रब./म.प्र.ज.नि.ग.यौ./परि.क्रि.ई./2023
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक 04.05.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
भोपाल, म.प्र.

विषय:- वैदना-2 एवं गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वन भूमि पर पाइप लाईन
विछाने की अनुमति।

- संदर्भ:-
1. प्रकरण क्रमांक- FP/MP/WATER/154588/2022
 2. प्रकरण क्रमांक- FP/MP/WATER/154848/2022
 3. प्रकरण क्रमांक- FP/MP/WATER/151709/2022
 4. प्रकरण क्रमांक- FP/MP/WATER/151757/2022
 5. प्रकरण क्रमांक- FP/MP/WATER/151448/2022

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि म0प्र0 जल निगम मर्यादित (म.प्र. शासन का उपक्रम) द्वारा सिंगरौली जिले में वैदना-2 एवं गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उपरोक्त योजनांतर्गत वन भूमि पर Pipeline विछाने का कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु वन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये गए थे, बांछित आवश्यक अभिलेख अनुलग्न-1 संलग्न कर अधिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रकरण क्रमांक	योजना का नाम	स्थिति	रिमार्क
1	FP/MP/WATER/154588/2022	वैदना-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	RO	प्रकरण RO लेवल पर दर्शित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु KML File, वन भूमि एवं गैर वनभूमि की पृथक-पृथक एवं जियो रेफरेंस मैप एवं सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्रीफ गूगल ड्राइव में अपलोड कर लिंक https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLIA7_mrdLpe_n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
2	FP/MP/WATER/154848/2022	वैदना-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	RO	प्रकरण RO लेवल पर दर्शित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु KML File, वन भूमि एवं गैर वनभूमि की पृथक-पृथक एवं जियो रेफरेंस मैप एवं सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्रीफ गूगल ड्राइव में अपलोड कर लिंक https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLIA7_mrdLpe_n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
3	FP/MP/WATER/151709/2022	वैदना-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	RO	प्रकरण RO लेवल पर दर्शित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु KML File, वन भूमि एवं गैर वनभूमि की पृथक-पृथक एवं जियो रेफरेंस मैप एवं सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्रीफ गूगल ड्राइव में अपलोड कर लिंक https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLIA7_mrdLpe_n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

क्र.	प्रकरण क्रमांक	योजना का नाम	स्थिति	टिप्पणियाँ
4	FP/MP/WATER/ 151757/2022	गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	RO	प्रकरण RO लेवल पर दर्शित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु KML File, वन भूमि एवं गैर वनभूमि की पृथक-पृथक एवं जियो रेफरेंस मैप एवं सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिक शीट गुगल ड्राइव में अपलोड कर लिंक https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLJA7_mrdLpe_n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
5	FP/MP/WATER/ 151448/2022	गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	RO	प्रकरण RO लेवल पर दर्शित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु KML File, वन भूमि एवं गैर वनभूमि की पृथक-पृथक एवं जियो रेफरेंस मैप एवं सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिक शीट गुगल ड्राइव में अपलोड कर लिंक https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLJA7_mrdLpe_n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरणों के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें। जल जीवन मिशन शासन की अतिमहत्वाकांक्षी योजना है जिसे समयसीमा में पूर्ण किया जाना है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न- अनुलग्न-1

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम न्यायित
परि. क्रिया. ई. सिंगरौली

दिनांक

क्रमांक /महा.प्रव./म.प्र.ज.नि.न्यायित/परि.क्रि.ई./2023

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा और सूचनार्थ।
2. ओ.एस.डी. परमिशन, मध्यप्रदेश जल निगम न्यायित भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
4. वन मंडल अधिकारी, सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम न्यायित
परि.क्रिया. ई. सिंगरौली

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक एफ 16-21/2020/2/34/(2951)

भोपाल, दिनांक 22 SEP 2020

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

विषय - मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा क्रियान्वित की जानेवाली समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ - प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, भोपाल का पत्र क्रमांक 6942 दिनांक 29.08.2020।

-0-

राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जानेवाली निम्नानुसार 10 समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र.	समूह जलप्रदाय योजना का नाम	जिला	लागत (रु. करोड़ में)
1	राजौद	धार	109.50
2	मडिया	सागर	336.02
3	आगर मालवा	आगर	557.35
4	मडीखेड़ा	शिवपुरी	1096.96
5	गोपीकृष्ण सागर	गुना	461.98
6	राजघाट	गुना एवं अशोकनगर	1942.90
7	नेमावर (हाटपिपलिया)	देवास	237.00
8	गोंड देवसर	सिंगरौली	470.49
9	वैढन-1	सिंगरौली	637.27
10	वैढन-2	सिंगरौली	261.53
योग			6111.00

- 2/ योजनाओं का क्रियान्वयन जल जीवन मिशन के मापदण्डों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाये, विस्तृत सर्वेक्षण उपरांत डिजाईन/ड्राईंग तैयार कर करायी जाये तथा योजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत राशि तक सीमित रखा जाये।
- 3/ यह आदेश मंत्रि-परिषद निर्णय के आइटम क्रमांक-18 दिनांक 15, सितम्बर 2020 के संदर्भ में जारी किया गया है।
- 4/ दिनांक 03.09.2020 को संपन्न परियोजना परीक्षण समिति की बैठक, तथा दिनांक 18.09.2020 को संपन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक, में उपरोक्त योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। बैठकों के कार्यवाही विवरण (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

General Manager
M.P. Jal Nigam Mary
Project Implementation
Singrauli (M.P.)

JUSTIFICATION LETTER

Justification Letter for Laying of Clear Water Distribution main under Waidhan-2 Block Chitrangi Multi Village Scheme (Distt. - Singrauli)

Project Name:- Waidhan- 2 Multi Village Scheme, Distt.- Singrauli.

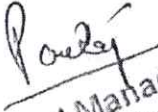
Project Cost:- INR 218.90 Crores.

Area Served:- 193 Village of Chitrangi block Dist. Singrauli under Madhya pradesh.

Project Scope:- Waidhan- 2 Multi Village Scheme Project was sanctioned under Jal Jeevan Mission to provide water to All House hold of Village of Singrauli District. The implementing Agency for the project is MP Jal Nigam Limited. After successful completion of the Waidhan- 2 multi village Scheme 93 village of Block Chitrangi of Singrauli District will receive potable drinking water in their homes through a functional tap. The project scope is as follows:-

S.No.	Description	UOM	Singrauli District
1	Intake Well cum pump house	MLD	28.24
2	Raw water pumping main	KM	7.00
3	Water treatment plant	MLD	22.66
4	Clear water pipe line / CWGM	KM	187.10
5	CWPM	KM	188.06
6	Master Balancing Reservoir	Nos.	2
7	Intermediate pumping Station	Nos.	8
8	Over Head Tank / Ground Service Reservoir	Nos.	77
9	Distribution Pipe Line	KM	2726.53
10	House Service Connection	Nos.	41702

The project scope consists of construction of Intake well, water treatment plant, over head tank and master balancing reservoir at various location across Singrauli district to provide water to the villages habitations. These tanks would be connected with pipe line to transfer and distribute the potable and raw water after topographical survey of pipe line alignment of the entire Singrauli district piping routes. It is found that the some pine line area of Chitrangi block under forest area. As per Design requirements and topographical compulsions these clear water pipe line are to be laid on these locations, situated in the forest area.


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)



MPRDC PERMISSION

MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Govt. of M.P. Undertaking)

OFFICE OF THE DIVISIONAL MANAGER MPRDC Div Sidhi

Near MPEB Colony WARD No. 8, Dist Sidhi (M.P.) Pin No. 486661

E-mail - dm-rewa2@mp.gov.in

Letter No. 1832/MPRDC/APMS/3151/2022

Sidhi, date:- 05 / 08 / 2022

To,

✓ General Manager,
M.P. Jal Nigam Maryadit,
PIU Singrauli (M.P.)

Sub:- Regarding permission for laying pipeline along MP-MDR-12-03 (Chitrangi-Garhwa Road) from Ch. 0.000 to Ch. 12.600 and Ch. 14.00 to Ch. 21.852, i.e. total length 20.452 along with 03 road crossing at Ch. 0.000, Ch. 17.700 and Ch. 19.000.

Ref:- 1. Chief General Manager (Admin.), MPRDC Bhopal Letter no. 6766/261/OTH/APMS2022 /3151/MPRDC/2022, Dated- 12/07/2022.
2. APMS Application No. APMS2022/3151, dated 28.01.2022.

-----*****-----
With reference to the letter & subject cited above, proposal submitted for Grant of permission to lay water pipeline along MP-MDR-12-03 (Chitrangi-Garhwa Road) from Ch. 0.000 to Ch. 12.600 and from Ch.14.000 to Ch. 21.852. i.e. total length 20.452 Km. along with 03 road crossings at Ch.0.000, Ch.17.700 and Ch.19.000 is approved in-principle with following conditions:-

1. Submission of X-Section at each crossing for crossing the road by HDD method showing depth of ground level and drilling level below road top level.
2. The execution of work will be done as per MoRT&H guidelines and to the satisfaction of this office (Divisional Manager, MPRDC).
3. The work shall be carried strictly in accordance with the provisions of the estimate & approved drawing.
4. Strict adherence to the safety requirements of IRC: SP-55 "Guidelines on Safety in road construction Zone" shall be ensured.
5. The execution of work will be done in accordance with the specification of Concession agreement and no diversion will be constructed.
6. You have to maintain the traffic for smooth movement.
7. The laying of Underground pipeline shall be strictly as per the MORTH Circular dated 22.11.2016 and as per the details indicated in the approved drawing. No change in the approved alignment of Underground pipeline will be entertained. Any deviation will result in automatic cancellation of the permission/approval.
8. It shall be ensured that no cross drainage Structure/Bridge shall be used to convey Underground water supply/Sewerage pipeline. Further, under no circumstances, the pipe line shall be allowed beneath existing carriageway except for road crossing permitted and no digging is permitted within carriageway.
9. All safety measures will be followed by you (General Manager, M.P. Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli).
10. All construction work shall be done under supervision of this office (Divisional Manager, MPRDC). This office will issue a completion certificate after completion of the work to the satisfaction of MPRDC.

Contd.....2



MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Govt. of M.P. Undertaking)

OFFICE OF THE DIVISIONAL MANAGER MPRDC Div Sidhi

Near MPBH Colony WARD No. 8, Dist Sidhi (M.P.) Pin No. 486661

E-mail - dm-rowa2@mp.gov.in

11. You have to submit "As built drawing after the completion work, within 30 days from date of actual completion of work at site.
12. You will bear all costs related to construction, maintenance and other ancillary expenditure.
13. The road section to be made after completion of work should be in accordance to drawing and to the satisfaction of Divisional Manager, MPRDC. Work is to be carried out between sunrise and sunset.
14. As per IRC 98-2011 sewer lines or water supply lines should be laid at edge of ROW
15. The Guidelines mentioned in the IRC: 98-2011 should be strictly adhered during execution.
16. You will shift the pipeline within given time period from the date of issue of the notice by the MPRDC to shift / relocate the pipeline, in case it is so required for the purpose of improvement/ widening of the road/ route/ highway or construction of flyover/ bridge and restore the road/ land to its original condition at his own cost and risk.
17. Under no circumstances, the already laid Underground Utility (if any) shall be harmed or interrupted due to laying of proposed pipeline. In case, if any damage is caused to any previously laid utility service/s. then you will indemnify MPRDC against any such claim of concerned Agency.
18. The permission shall stand withdrawn automatically in the event of breach of any of the above mentioned conditions are not followed at site.

The Bank Guarantee submitted by you is valid up to 31.03.2023. Please make it sure that if the work is not completed within Bank Guarantee Validity period or stipulated time as per terms of Agreement and this letter, this office may be, informed one month in advance, so that necessary action may be initiated. You may be allowed to undertake the remaining work only after receiving permission from this office as well as the extension of Bank Guarantee.

Encl:- Agreement copy.

Endt. No. /MPRDC/APMS3151/2022

Copy to:-

1. The Chief General Manager (Admin.) MPRDC Bhopal for kind information Please.

Divisional Manager
MPRDC Div. Sidhi (M.P.)

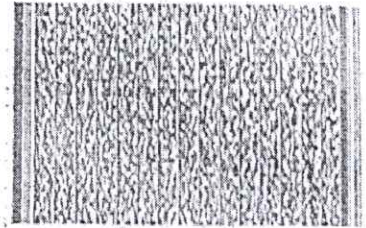
Sidhi, date:- / 08 / 2022

Paula
General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

-st-
Divisional Manager
MPRDC Div. Sidhi (M.P.)



Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh



Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details	
E-Stamp Code	01015023052022011622
Total E-Stamp Amount	500
Govt. Stamp Duty (Rs.)	500
Janpad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount (Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	23/05/2022 14:46:08
Service Provider or Issuer Details	बृजमोहन प्रसाद मिश्रा/SP015040807201500893
SP/SRO/DRO/HO Details	उप-पंजीयक कार्यालय चित्रंगी CHITRANGI SINGROLI
Deed Details	
Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt:- 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	AGREEMENT

First Party Details	
Organization Name	MPJALMP JAL MARYADIT PIU SINGRAULI
Address	COLLECTORATE WAIDHAN SINGROLI Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1
Second Party Details	
Organization Name	MPRDC LTD SIDHI
Address	MPPEB COLONY SIDHI SIDHI Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

AGREEMENT

Digitally signed by Brijmohan Prasad Mishra
Date: 2022.05.23 14:46:04 IST

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

Divisional Manager
MPRDC Div-II Rewa R.O. Sidhi

AGREEMENT REGARDING GRANTING OF RIGHT OF WAY PERMISSION FOR LAYING WATER PIPE LINE / DUCTS

Agreement to lay water pipe line along MPRDC MP - MDR -12 - 03 CHITRANGI to GHADHWA CH - 1.00 to CH - 20.50, total section length ROW applied for 20.50 km in state of Madhya Pradesh.

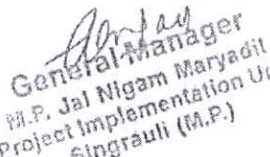
This agreement made this 5th day of August month of 2022 year between Madhya Pradesh road development corporation limited acting in his executive capacity through (hereinafter referred to as MPRDC which expression shall unless excluded by or repugnant to the context include his successors in office and assigns) on the one part and M.P. JAL NIGAM MARYADIT PIU SINGRAULI (M.P.)

Whereas Madhya Pradesh road development corporation limited is responsible, interlaid for development and maintenance of lands in state of Madhya Pradesh. Whereas the licensee propose to lay Water Pipe Line along MPRDC MP - MDR -12 - 03 CHITRANGI to GHADHWA. Whereas the licensee proposes to lay water pipe line whereas the licensee has applied to the Authority for permission to lay water pipe line from agreement to lay Water Pipe Line along MPRDC MP-MDR-12-03 CHITRANGI to GHADHWA CH-1.00 To CH-20.500, Total section length ROW applied for 20.500 KM in state of Madhya Pradesh.

And whereas the MPRDC has agreed to grant such permission on the terms and conditions hereinafter mentioned. Now this agreement witnesses that in consideration of the conditions hereinafter contained and on the part of the licensee to be observed and performed, the MPRDC here by grants to the license permission to lay water pipe line as per the drawings attached here to subject to the following conditions, namely :-

1. The water pipe line shall always be laid at the edge of the ROW. In case of the restricted width of , which may be adequate only to accommodate the carriageways central verge shoulders, slopes of embankments and drains, the water pipe line shall be laid beyond the toe line of the embankments and clear of the drain. In cases where pipe line ducts with sufficient space are technical requirements being fulfilled. Present policy of the MORTH is to provide a 2.00m wide utility corridor on either side of the extreme edge of ROW where required ROW of at least 45m is available, which includes provision for OFC ducts.
2. A Performance Bank Guarantee @Rs.100 (Rupees Hundred Only) per route meter with a validity of one year initially (extendable if required till satisfactory completion of work shall have to be furnished by licensee to the authority/ its designated agency as a security against improper restoration of ground in terms of filling/unsatisfactory compaction damages caused to other underground installations/utility services & interference interruption, disruption or failure caused thereof to any services etc. The above charge of Rs.100/m is liable to be reviewed every 5years. For clarifications, it is hereby mentioned that all restoration work subsequent to laying of the pipe line shall be required to be undertaken by the licensee at its cost either by itself or through its authorized representative in consultation with the authority as per predetermined time schedule and quality standards. In case of the licensee failing to discharge the obligation of making good of the excavated trench/other restoration work, the authority shall have a right to make good the damages caused by excavation , at the cost of the licensee and recover the amount by forfeiture of the bank guarantee. In case, the performance bank guarantee is invoked as mentioned


Divisional Manager
MPRDC Div-II Rewa H.Q. SBI

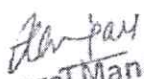

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

above, the licensee shall be required to replenish and reinstate the required performance bank guarantee within one month of such invoking.

In case the work contemplated herein is not completed to the satisfaction of the MPRDC which has granted the permission, within a period of 11 months from the date of issue of the bank guarantee, the licensee shall either furnish a fresh guarantee or extend the guarantee for a further period of one year.

Notwithstanding this, the licensee shall be liable to pay full compensation to the aggrieved authority its designated agency for any damage sustained by them by reason of the exercise of the ROW facility.

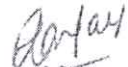
3. The License shall make his own arrangement for crossing of drainage structure of rivers, etc. below the bed. In case this is not feasible, the water pipe line/ducts may be carried outside the railing/parapets and supported on brackets fixed to the outside of the bridge superstructure. The fixing and supporting arrangement with all details shall required to be approved in advance from concerned Authority which has granted such permission. Additional cost on account of fixing and supporting arrangement as assessed by the authority shall be payable by the licensee.
4. The License shall shift the water pipe line/duct within 90 days (or as specified by the respective agency/MPRDC) from the date of issue of the notice by the concerned MPRDC to shift/relocate the water pipe line/duct, in case it is so required for the purpose of improvement/widening of the road/route/highways or construction of flyover/ bridge and restored road land to its original conditions at its own cost and risk.
5. The License shall be responsible to ascertain from the respective agency in co-ordination with Authority, regarding the location of other water pipe line/duct, underground installation/utilities/facilities etc. the License shall ensure the safety and security of already existing water pipe line/underground installation/utilities/facilities etc. before commencement of the excavation / using the existing pipe line ducts.
6. The License shall be solely responsible / liable for full compensation/indemnification of concerned agency aggrieved authority for any direct, indirect or consequential damage caused to them/claims or replacements sought for at the cost and risk of the License. The concerned agency in co-ordination with authority shall also have a right to make good such damages/recover the claims by forfeiture of bank Guarantee.
7. If the License fails to comply with condition (6) and (7) above to the satisfaction of the authority, the shall be executed by the authority at the cost and risk of the License.
8. No License shall claim exclusive right on the ROW and any subsequent user will be permitted to use the ROW either or below or by the side of the utilities laid by the first user subject to technical requirement being fulfilled. Whether the technical requirements are fulfilled or not, shall be decided by Highway Administration/Government in their sole discretion. In case of any disruption/damage caused to any existing user by the subsequent user, the authority would not be accountable or liable in any manner whatsoever.
9. The Licensee shall procure insurance from a reputed insurance company against damages to already existing water pipe line/underground installation/utilities/facilities etc. during trenching.
10. Grant of licensee is subjected to the licensee satisfying (a) minimum disruption of traffic and (b) no damages to the highways. As far as possible, the License should avoid cutting of the

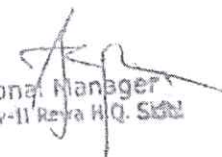

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadi
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)


Divisional Manager
MPRDC Div-II Rewa H.Q. S.H.

road for crossing highway, for crossing highway, the Licensee shall adopt trenchless technology. In case any damages is caused to the road pavement in this process, the licensee will be required to the restore the road of the original condition at its cost If due to unavoidable reasons the road need to be cut for crossing or laying a pipe line, the licensee has to execute the corresponding restoration work in a time bound manner. For clarification, it is hereby mentioned that all required restoration work subsequent to laying of the water pipe line shall be required to be undertaken by the licensee at its cost either by itself or through its authorized representative in consultation with the authority as per predetermined time schedule and quality standard. In case the licensee failing to discharge the obligation of making good of the excavated trench/other restoration work, the authority shall have a right to make good the damages caused by excavation, at the cost licensee and recover the amount by forfeiture of the bank guarantee.

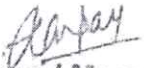
11. The license shall inform/ give a notice to the conceded agency designated by authority at least 15 days in advance with route details prior to digging trenches for fresh or maintenance/repair works. A separate performance Bank Guarantee for maintenance/repair work shall have to be furnished by the licensee.
12. Each day, the extent of digging the trenches should be strictly regulated so that water pipe line are laid and trenched filled up before the close the work that day. Filling should be completed to the satisfaction of the consumed agency designated by the authority.
13. The licensee shall indemnify the concerned in co-ordination with authority against all damages and claims, if any due to the digging of trenches for laying water pipe line /ducts.
14. This permission shall be co-terminus with the validity of license awarded by the Department of munication (DOT). The permission granted under this agreement will automatically crease in case of premature termination of the license granted to by the DOT. The Authority also has a right to terminate the permission or to extend the period of agreement in case the license want shifting, repair or alteration to water pipe line/duct; he will have to furnish a separate Bank Guarantee.
15. That licensee shall not without prior permission in writing of the consumed agency in co-ordination with authority undertake any work of shifting, repairs or alterations to said water pipe line/ducts.
16. In order to avoid repeated digging on the same route, in case were pipe line ducts with sufficient space are already available along MDR, laying of water pipe line shall be encouraged in such ducts subject to technical feasibility in term of interface etc. in case where such ducts are not available, the license is free to lay voluntarily extra ducts/conduits with extra capacity so as to take care of future needs. The capacity/excess capacity can be commercialized by the licensee with suitable mutual agreement with the authority or his designated agency. However, the creation of excess capacity Licenses is not a precondition for ROW permission granted herein.
17. The permission granted shall not in any way be deemed to convey to the licensee any ownership right or any interest in route road/highway land/property other then what is herein expressly granted. No use of MDR-12-03.
18. Row will be permitted for any purpose other than that specified the Agreement.
19. During the subsistence of this agreement, the water pipe line/ducts located in highways land/property shall be deemed to have been constructed and continued only by the consent

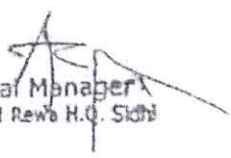

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)


Divisional Manager
MPRDC Div-II Rewa H.Q. SGT

- and permission of the authority so that the right of the license to the use there of shall not become absolute and indefeasible by lapse of time.
20. The Licensee shall bear the stamp duty charged on this Agreement.
 21. The Water pipe line shall not be brought into use by the licensee unless a completion certificate to the effect that the water pipe line /duct has been laid in accordance with approved specification and drawing and the trenches have been filled up to the satisfaction of the concerned agency in co-ordination with authority has been obtained Three copies of as laid drawing of utilities (hard and soft copies) with geo tagged photographs and geo tagged video recording of laying of water pipe line in the trenches (with respect to the SH) and after complete restoration shall be submitted to the authority for verification and record within a month of completion of works.
 22. Not with standing anything contained herein this agreement may be cancelled at any time by the authority for breach of any condition of the same and licensee shall either be entitled to the any compensation for any loss caused to it by such cancellation nor shall it be absolved from any liability already incurred.
 23. The Licensee shall have to provide safety measures like barricading , danger lighting and other necessary caution board while executing the work.
 24. If any traffic diversion work are found necessary during the working period, such diversion shall be provided at the cost of licensee.
 25. After the termination/expiry of the agreement, the licensee shall remove the pipe line /ducts within 90 days and site shall be brought back to the original condition failing which the licensee will lose the right to the remove the water pipe line/ducts. However, before taking up the work of removal of water pipe line the licensee shall furnish a Bank Guarantee to the Authority for a period of one year for an amount assessed by the authority as a security for making good the excavated trench by proper filling and compaction, Clearing debris loose earth produced due to excavation of trenching at least 50m away from the edge of the ROW.
 26. The enforceability of the row permission granted herein shall be restricted to the extent of provision I scope of service contained/defined in the license agreement of the licensee with DOT and for the purpose for which it is granted, either by content or by intent, the purpose of extending this ROW facility is not to enhance the scope of license of the licensee with the DOT.
 27. Any disputes in interpretation of terms and condition of this agreement or their implementation shall be referred to the high level committee comprising the designated representative of the authority, licensee and the concerned agencies and of the committee shall be final and binding on all.
 28. For PPP projects, in case of any financial loss incurred by the respective project concessionaires due to such laying shifting of water pipe line/pipe line ducts by the Licensee, compensation for the same shall be required to be borne by the Licensee in mutual agreement with the respective project concessionaire. MPRDC implementing authorities for the project shall not be liable to the concessionaire in any way in this regard,

Notwithstanding anything contained in clause 4 (vii) the licensee may be cancelled at any time by the government for a Breach of any condition of the licensee and the in witness where of Shri..... The divisional manager road development an additional secretary ministry of transport and shipping (Road wing) for and


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Bingrauli (M.P.)

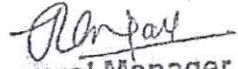

Divisional Manager
MPRDC Div-II Rewa H.Q. Sidhi

behalf of the president of India and the licenses-MPINM has signed and subscribed their representative hands here into the way, month and year first above written.

This agreement has been executed in duplicate, each on a Stamp paper. Each party to this Agreement has retained one stamped copy each

IN WITNESS WHERE OF THE PARTIES HERETO HAVE CAUSED THIS AGREEMENT TO BE EXECUTED THROUGH THEIR RESPECTIVE AUTHORISED REPRESENTATIVE THE DAY AND THE YEAR FIRST ABOVE WRITTEN.

Signature of Applicant SIGNED, SEALED AND DELIVERED BY


General Manager
Special Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)
India

Signed by.....
General Manager, MPRDC
Govt. of India on behalf of Manager
President of MPRDC Div-II Rewa H.C. Smt

In Presence of (Witness)

1. Name of full.....

1. Name of full.....

(Signature With Designation)

(Signature With Designation)

2. Name of full.....

2. Name of full.....

(Signature With Designation)

(Signature With Designation)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
म.प्र. लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) सिंगरौली संभाग सिंगरौली (म0प्र0)

web site: www.mip.gov.in/pwdmp

email: cepwdslngroul1@gmail.com

Phone- 07805-297420, Fax- 07805-297420

क्रमांक- 779
प्रति,

तकनीकी / 2022-23

सिंगरौली, दिनांक 24.6.22

जनरल मैनेजर

म0प्र0 जल निगम मर्यादित

पी0आई0यू0 सिंगरौली (म0प्र0)

विषय :- मार्गों के शोल्डर में एवं शोल्डर के बाहर खोदकर व मार्गों की कटिंग करके पाइप लाइन बिछाने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1) मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक 1129/17/19/यो. भोपाल दिनांक 22.02.2017
3) इस कार्यालय का पत्र क्र. 3390/तक./2021-22 सिंगरौली दिनांक 09.03.2022
2) आपका पत्र क्र. 135/2022/म.प्र.जे.एन.एम./पी.आई.यू./सिंगरौली दिनांक 02.02.2022

-000-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) संभाग सिंगरौली विभाग के अन्तर्गत मार्गों के शोल्डर में एवं शोल्डर के बाहर खोदकर व मार्गों की कटिंग कर के नल जल पाइप लाइन बिछाने के लिए अनुमति चाही गई है। आपके यहां से एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड (शिव कॉम्प्लेक्स सीधी) की बैंक गारंटी क्रमांक 062GT02220880003 दिनांक 19.04.2022 राशि रु. 44,07,270.00 लाख प्राप्त हुआ है।

अतः नल जल पाइप लाइन बिछाने हेतु खुदाई की निम्नलिखित शर्तों के तहत अनुमति प्रदान की जाती है-

1. उक्त मार्ग के मध्य बिन्दु से 15.00 मीटर की दूरी पर 1.00 मीटर गहराई में पाइप लाइन होगा।
2. स्वीकृत प्रस्तावित मार्ग का डायग्राम कार्य स्थल पर रखना अनिवार्य होगा।
3. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी/उपयंत्री को सूचित करने के पश्चात उनकी उपस्थिति में ले-आउट दिया जाय।
4. सड़क खुदाई की चौड़ाई 0.50 मीटर से अधिक न हो।
5. सड़क के किनारे जो पाइप लाइन डाली जाय उसकी भराई एवं कुटाई पश्चात् सड़क मार्ग को यथा स्थिति में लाना अनिवार्य होगा।
6. प्रस्तावित रूट डायग्राम के अनुसार पाइप लाइन डाली जाय, किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
7. जहां कहीं पाइप लाइन पुल के ऊपर से गुजरेगी वहां पर पाइप लाइन डालने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देश प्राप्त करने के पश्चात डाली जाय।
8. सड़क कटिंग के समय मार्ग के आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
9. कार्य सम्पादन के समय किसी प्रकार की घटना, विवाद या शिकायत के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
10. 200 मी. से अधिक खुदाई एक बार में न करे, नाली भराई के बाद ही अगली खुदाई की जाये जिससे आवागमन बाधित न हो।



11. विकास कार्य हेतु विभाग द्वारा यदि पाइप लाइन को हटाने का निर्णय लिया जाता है तो कंपनी अपने खर्चे से पाइप लाइन आदि हटायेगा, इससे विभाग से किसी प्रकार का कोई हर्जाना मांगने का अधिकार कंपनी को नहीं होगा।
12. पूर्व में बिछी लाइन, टेलीफोन लाइन, ड्रेनेज लाइन अथवा अन्य कोई पूर्व में बिछी लाइन में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान के लिए कंपनी हर्ज एवं खर्चे के लिए जिम्मेदार होगी।
13. यदि आपके द्वारा इस विभाग की अनुमति के बगैर एवं अनुमति उपरान्त अधिक कि.मी. में पाइप लाइन बिछाने से मार्ग छतिग्रस्त होता है तथा अनुमति प्राप्त छतिग्रस्त मार्ग का आपके द्वारा मरम्मत कार्य नहीं कराया जाता तो शासन की छतिपूर्ति की राशि को एफ. आई.आर. कराकर आपसे वसूलने की कार्यवाही की जावेगी।

सहपत्र :- शून्य।

(Signature)
२५/०६/२०२२
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग सिंगरौली (म०प्र०)

पृ०क्रमांक / तकनीकी / 2022-23
प्रतिलिपि:-

सिंगरौली, दिनांक

- 1) मुख्य अभियंता लो.नि.वि. रीवा परिक्षेत्र रीवा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 2) कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3) अधीक्षण यंत्री लो.नि.वि. रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 4) अनुविभागीय अधिकारी लो०नि०वि० उपसंभाग चितरंगी की ओर पालनार्थ। कृपया कंपनी द्वारा दिये गये ले-आउट (रूट डायग्राम) की जाँच कर संलग्न प्रस्तावित एलाइमेन्ट के अनुसार कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

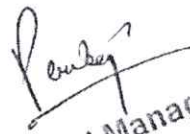
(Signature)
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग सिंगरौली (म०प्र०)

Muck Disposal Plan

Annexure-1.

- 1) KML files for the non forest area and forest area are uploaded along with 4.9627 hacs CA Land uploaded on Parivesh Web Portal.
- 2) Complete plan of water supply & KML depicting all components uploaded on Parivesh Web Portal.
- 3) No Objection Certificates from MPRDC and PMGSY is attached.
- 4) Component wise breakup for 49.627 kms of pipeline network 4.9627 hacs land detail uploaded dated on Parivesh portal along with layout plan attached.
- 5) After laying of pipe line, excavated quantity will be used for filling of trench and levelling purpose, therefore there will be no muck disposed outside.
Excavated Volume- $(49627 \times 1 \times 1.2) = 59,552.4$ cum
Pipe Volume – $(3.14 \times 0.1 \times 0.1 \times 49627) = 1,558.2878$ cum
Backfilled Soil = 57964.1122 cum
Remaining Muck- (Excavated Soil- Backfilled Soil) = 1,558.2878 cum

Note -Excavated soil shall be backfilled and levelled. And Remaining muck (Equal to pipe volume) will be disposed off at available surplus revenue land 3.8 (20.8 – 17) ha. located at village pipri, teh: chitrangi khasra no. 245 allotted to MPJNM.

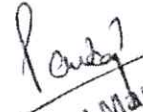

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

COMPONENT WISE BREAKUP

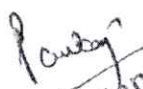
Requirement and Topographical compulsions these clear water distributions are to be laid on these locations, situated in the forest area.

Annexure:-

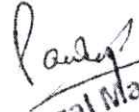
S.N.	Division / Park	District	Compartment Range	Length (km)	Width(m)	Area(Ha.)
1	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 229	131	1	0.0131
2	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 664	28	1	0.0028
3	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 578	110	1	0.011
4	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 664	709	1	0.0709
5	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 665	193	1	0.0193
6	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 230	73	1	0.0073
7	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 246	1209	1	0.1209
8	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 245	804	1	0.0804
9	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 245	29	1	0.0029
10	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 245	54	1	0.0054
11	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 245	47	1	0.0047
12	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 245	31	1	0.0031
13	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 244	792	1	0.0792
14	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 244	64	1	0.0064
15	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 247	58	1	0.0058
16	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 247	77	1	0.0077
17	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 247	155	1	0.0155
18	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 247	275	1	0.0275
19	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 247	156	1	0.0156
20	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 247	41	1	0.0041
21	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 252	125	1	0.0125
22	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 252	70	1	0.007


 General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

23	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 253	186	1	0.0186
24	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 253	124	1	0.0124
25	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 253	36	1	0.0036
26	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 239	160	1	0.016
27	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 239	241	1	0.0241
28	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 239	66	1	0.0066
29	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 239	143	1	0.0143
30	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 239	48	1	0.0048
31	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 239	33	1	0.0033
32	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 239	30	1	0.003
33	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 239	56	1	0.0056
34	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 239	161	1	0.0161
35	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 239	469	1	0.0469
36	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 239	62	1	0.0062
37	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 239	221	1	0.0221
38	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 233	225	1	0.0225
39	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 233	118	1	0.0118
40	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 233	35	1	0.0035
41	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 233	121	1	0.0121
42	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	169	1	0.0169
43	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	626	1	0.0626
44	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	24	1	0.0024
45	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	24	1	0.0024
46	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 235	80	1	0.0186
47	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	558	1	0.0124
48	CLEAR WATER	SINGRAULI	PF 234	180	1	0.0036


 General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

	DISTRIBUTION MAIN					
49	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 234	465	1	0.008
50	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 234	234	1	0.0558
51	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 234	80	1	0.018
52	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 234	15	1	0.0465
53	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 206	361	1	0.0234
54	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 206	62	1	0.008
55	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 206	117	1	0.0015
56	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 206	83	1	0.0361
57	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 206	52	1	0.0062
58	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 206	552	1	0.0117
59	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 206	43	1	0.0083
60	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 206	58	1	0.0052
61	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	1365	1	0.0552
62	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	1983	1	0.0043
63	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	106	1	0.0058
64	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	94	1	0.1365
65	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	266	1	0.1983
66	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	232	1	0.0106
67	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	517	1	0.0094
68	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	124	1	0.0266
69	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	46	1	0.0232
70	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	69	1	0.0517
71	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	32	1	0.0124
72	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	50	1	0.0046
73	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	185	1	0.0069


 General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

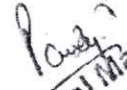
74	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	94	1	0.0094
75	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	334	1	0.0334
76	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	36	1	0.0036
77	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	85	1	0.0085
78	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	136	1	0.0136
79	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	124	1	0.0124
80	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	48	1	0.0048
81	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	15	1	0.0015
82	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	346	1	0.0346
83	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	53	1	0.0053
84	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	19	1	0.0019
85	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	20	1	0.002
86	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	60	1	0.006
87	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	126	1	0.0126
88	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	57	1	0.0057
89	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	428	1	0.0428
90	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	74	1	0.0074
91	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	71	1	0.0071
92	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	114	1	0.0114
93	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	291	1	0.0291
94	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	156	1	0.0156
95	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	86	1	0.0086
96	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	27	1	0.0027
97	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	69	1	0.0069
98	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	388	1	0.0388
99	CLEAR WATER	SINGRAULI	PF 208	340	1	0.034

Parth
 General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

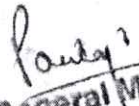
	DISTRIBUTION MAIN					
100	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	147	1	0.0147
101	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	153	1	0.0153
102	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	144	1	0.0144
103	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	56	1	0.0056
104	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	89	1	0.0089
105	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	49	1	0.0049
106	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	26	1	0.0026
107	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	272	1	0.0272
108	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	214	1	0.0214
109	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	149	1	0.0149
110	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	33	1	0.0033
111	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	52	1	0.0052
112	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	83	1	0.0083
113	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	30	1	0.003
114	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	210	1	0.021
115	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	38	1	0.0038
116	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	36	1	0.0036
117	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 209	57	1	0.0057
118	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	38	1	0.0038
119	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 208	103	1	0.0103
120	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 206	53	1	0.0053
121	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	52	1	0.0052
122	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	140	1	0.014
123	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	171	1	0.0171
124	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	136	1	0.0136

Paz
 General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

125	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	176	1	0.0176
126	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	158	1	0.0158
127	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	172	1	0.0172
128	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	43	1	0.0043
129	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	41	1	0.0041
130	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	154	1	0.0154
131	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	26	1	0.0026
132	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	247	1	0.0247
133	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	31	1	0.0031
134	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	67	1	0.0067
135	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	94	1	0.0094
136	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	18	1	0.0018
137	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 211	37	1	0.0037
138	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 211	85	1	0.0085
139	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 211	137	1	0.0137
140	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 213	137	1	0.0137
141	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 213	242	1	0.0242
142	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 213	339	1	0.0339
143	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 213	84	1	0.0084
144	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	503	1	0.0503
145	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	80	1	0.008
146	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	59	1	0.0059
147	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 207	19	1	0.0019
148	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 202	224	1	0.0224
149	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 202	182	1	0.0182
150	CLEAR WATER	SINGRAULI	PF 202	449	1	0.0449


 General Manager
 M.P. Jai Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

	DISTRIBUTION MAIN					
151	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 202	166	1	0.0166
152	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 202	55	1	0.0055
153	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 202	49	1	0.0049
154	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 202	50	1	0.005
155	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	420	1	0.042
156	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	253	1	0.0253
157	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	203	1	0.0203
158	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	168	1	0.0168
159	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	111	1	0.0111
160	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	503	1	0.0503
161	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	181	1	0.0181
162	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	115	1	0.0115
163	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	49	1	0.0049
164	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	40	1	0.004
165	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	41	1	0.0041
166	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	49	1	0.0049
167	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 201	34	1	0.0034
168	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 121	21	1	0.0021
169	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 121	17	1	0.0017
170	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 121	12	1	0.0012
171	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 121	51	1	0.0051
172	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 121	35	1	0.0035
173	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 116	123	1	0.0123
174	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 121	284	1	0.0284
175	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 121	27	1	0.0027


General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit

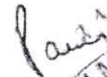
176	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 121	28	1	0.0028
177	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 121	32	1	0.0032
178	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 120	186	1	0.0186
179	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 120	98	1	0.0098
180	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 119	290	1	0.029
181	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 119	38	1	0.0038
182	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 119	35	1	0.0035
183	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 119	18	1	0.0018
184	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 119	92	1	0.0092
185	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 119	31	1	0.0031
186	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 114	268	1	0.0268
187	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 116	470	1	0.047
188	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 116	282	1	0.0282
189	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 116	38	1	0.0038
190	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 116	188	1	0.0188
191	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 115	548	1	0.0548
192	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 115	267	1	0.0267
193	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 115	105	1	0.0105
194	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 115	123	1	0.0123
195	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 115	172	1	0.0172
196	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 114	430	1	0.043
197	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 114	293	1	0.0293
198	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 116	453	1	0.0453
199	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 116	58	1	0.0058
200	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 114	226	1	0.0226
201	CLEAR WATER	SINGRAULI	PF 114	121	1	0.0121


 General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

	DISTRIBUTION MAIN					
202	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 114	52	1	0.0052
203	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	1940	1	0.194
204	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 221	1062	1	0.1062
205	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 221	237	1	0.0237
206	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 221	900	1	0.09
207	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 221	104	1	0.0104
208	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 221	78	1	0.0078
209	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	202	1	0.0202
210	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	461	1	0.0461
211	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	63	1	0.0063
212	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 220	117	1	0.0117
213	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	264	1	0.0264
214	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 219	120	1	0.012
215	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	97	1	0.0097
216	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 219	56	1	0.0056
217	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	92	1	0.0092
218	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	61	1	0.0061
219	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	198	1	0.0198
220	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	118	1	0.0118
221	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	195	1	0.0195
222	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	51	1	0.0051
223	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	91	1	0.0091
224	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 210	27	1	0.0027
225	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 681	431	1	0.0431
226	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 681	132	1	0.0132

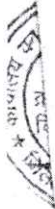

General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli

227	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 681	592	1	0.0592
228	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 681	80	1	0.008
229	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	854	1	0.0854
230	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	132	1	0.0132
231	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	190	1	0.019
232	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	136	1	0.0136
233	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	400	1	0.04
234	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	185	1	0.0185
235	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	33	1	0.0033
236	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	52	1	0.0052
237	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	29	1	0.0029
238	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	31	1	0.0031
239	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	22	1	0.0022
240	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 236	906	1	0.0906
241	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 236	227	1	0.0227
242	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 236	350	1	0.035
243	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 236	155	1	0.0155
244	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 236	69	1	0.0069
245	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 236	44	1	0.0044
246	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 236	30	1	0.003
247	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 236	31	1	0.0031
248	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 236	97	1	0.0097
249	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 236	199	1	0.0199
250	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 236	90	1	0.009
251	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	115	1	0.0115
252	CLEAR WATER	SINGRAULI	RF 237	1268	1	0.1268


General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

	DISTRIBUTION MAIN					
253	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	416	1	0.0416
254	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	376	1	0.0376
255	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	138	1	0.0138
256	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	465	1	0.0465
257	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 237	269	1	0.0269
Total:-					4.9627 ha.	

Pony
General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadi
 Jalant Jalant



कार्यालय वन सरंक्षक रीवा वन वृत्त रीवा

केन्द्रीय विद्यालय रोड वन विश्राम गृह जयंती कुंज रीवा म0प्र0
Phone No.07662- 299198, 297335 E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in,

आदेश

रीवा,दिनांक 27.06.2024

क्रमांक/मा.चि./2024/...151. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-1194/191/2022/नियम/चार, भोपाल दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली के पत्र क्रमांक/तक/3674 दिनांक 06.06.2024, 4071 दिनांक 26.06.2024 से वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत ग्रामीण समूह जल प्रदाय परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले सिंगरौली जिले की तहसील चितरंगी के ग्राम पिपरी के खसरा क्रमांक 245 में 7.000 हे. एम.डी. एफ. एवं 7.000 हे. व्ही.डी.एफ. पाए जाने पर अ0प्र0मु0व0सं0 भू-प्रबंध म0प्र0भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1204/2022/10-11/4611 दिनांक 17.10.2023 से दिये गये निर्देशानुसार 17.000 हे. में से शेष बचे 3.000 हे. गैर वनभूमि पर 3000 पौधों की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं 14.000 हे. वनभूमि पर 14000 पौधों की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में	अनुमानित लागत रु. में
सिंगरौली जिले में ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना 1. FP/MP/WATER/151757/2022, 2. FP/MP/WATER/144394/2021, 3. FP/MP/WATER/154848/2022, 4. FP/MP/WATER/151448/2022	माड़ा	मकरोहर	पीएफ-421	14.000	8350993.00
	कर्तुआ	धानी	खसरा क्र. 245	घेराव हेतु रकबा 17.000 हे. रोपण क्षेत्र 3.000 हे.	7033682.00

शर्तें-

- सभी क्षतिपूर्ति वनीकरण रोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. क्रमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
- म0प्र0शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-25-36/2005/10-3/2002 दिनांक 10 अक्टूबर 2023 से दिये गये निर्देशानुसार वृक्षारोपण योजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जावेगी।
- जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई एवं अक्टूबर माह में कराई जावे।
- कार्य का क्रियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक की दर से मजदूरी दर में वृद्धि का प्रावधान किया गया है फिर भी यदि दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है, तो अन्तर की राशि सम्बन्धित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।
- सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन अनिवार्य हो।

(राजेश कुमार राय)
मा.व.से.

वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.

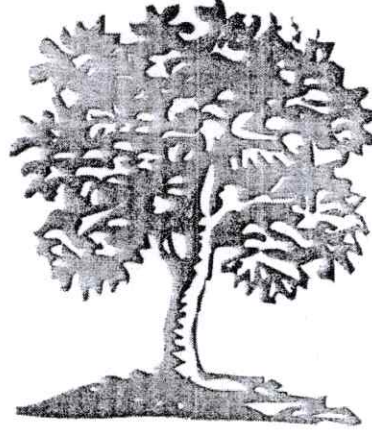
पृ.क्रमांक/मा.चि./2024/...4959

प्रतिलिपि- वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

रीवा,दिनांक 27.06.2024

वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



जल जीवन मिशन योजना के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य का ग्यारह वार्षिक प्राकलन

योजना का नाम	: जल जीवन मिशन योजना के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य
स्थल का नाम	: पिपरी
खसरा क्रमांक	: 245
रकबा (हेक्टेयर में)	: घेराव 17.00 हेक्टेयर, रोपण 3.00 हेक्टेयर
जी.पी.एस. रीडिंग	: 24°29'45.98"N, 82°22'32.49"E
प्रस्तावित राशि	: 7033682
प्रति हेक्टेयर व्यय	: 413746
योजना वर्ष	: 2024-25 से 2034-35

वन परिक्षेत्र कर्तुआ
वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य)

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राककलन

भाग-1

सामग्र्य विवरण

1- परियोजना का विवरण

(अ) परियोजना का नाम

जल जीवन मिशन योजना के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य का ग्यारह वर्षीय प्राककलन

(ब) भारत सरकार का अनुमोदन	-
(स) प्रत्यावर्तित वनभूमि का विवरण	-
i- जिला	- सिंगरौली (मध्य प्रदेश)
ii- वन मण्डल	- सिंगरौली
iii- परिक्षेत्र	- कर्तुआ
iv- तहसील	- चितरंगी
v- विकास खण्ड	- चितरंगी
vi- विधान सभा क्षेत्र	- चितरंगी
vii- क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	- हरफरी
viii- क्षेत्रीय परिसर (बीट)	- धानी
2- स्थल विशेष जानकारी	-
i- सामुदायिक वन प्रबंधन समिति	- पिपरी
ii- वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक	- राजस्व क्षेत्र
iii- कुल क्षेत्रफल	- 20.959 हे०
iv- कार्यवृत्त	- आर.डी.एफ.
v- उपचार श्रेणी/प्रबंध श्रेणी	-
vi- उपचार इकाई/कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष	-
vii- स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	- 25 किलोमीटर
3- गठित समिति का प्रकार	- सामुदायिक वन प्रबंधन समिति
4- समिति का मुख्यालय	- धानी
5- समिति में सम्मिलित ग्राम	- धानी, पिपरी, जरबैला
6- समिति के अध्यक्ष का नाम	- श्री सवाईलाल सिंह
7- परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम	- श्री दिनेश कुमार रत्नाकर
8- परिक्षेत्र सहायक का नाम	- श्री शिवेन्द्र कुमार रायत, वनपाल
9- समिति के सदस्यों की जानकारी	-

वर्ग	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु०	म०	कुल	पु०	म०	कुल	पु०	म०	कुल	पु०	म०	कुल	पु०	म०	कुल
आदिवासी	380	205	585	176	158	334	0	0	0	0	0	0	556	363	919
हरिजन	50	49	99	18	12	30	0	0	0	0	0	0	68	61	129
पिछड़ा वर्ग	162	154	316	74	51	125	0	0	0	0	0	0	236	205	441
सामान्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	592	408	1000	268	221	489	0	0	0	0	0	0	860	629	1489

10- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं रचना --

i- टोपोग्राफी	- समतल एवं हल्की पहाड़ी
ii- एस्पेक्ट	- पूर्व-पश्चिम
iii- ढलान	- सामान्य
A- पानी निकासी	अच्छी
B- भू-क्षरण	आंशिक
iv- चट्टानों का विवरण	- सैण्डस्टोन
v- मिट्टी का प्रकार	- सेन्डीलोम
vi- औसत वार्षिक वर्षा	- 110 से.मी.
vii- नरम मिट्टी का क्षेत्र	- 05 हेक्टेयर
viii- कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	- 12 हेक्टेयर
ix- पथरीली मिट्टी	- निल
x- आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	- निल
xi- आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	- निल
xii- खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना) क्षेत्र	- निरंक
xiii- वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	- 3.00 हेक्टेयर
xiv- चारागाह रोपण योग्य क्षेत्र	- निरंक
xv- विकृत बांस का क्षेत्र	- निरंक
xvi- क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) है	निरंक

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	सामान्य	40 प्रतिशत	निरंक
चराई	निरंक	निरंक	निरंक
मानव	सामान्य	सामान्य	निरंक

11- योजना का उद्देश्य

- परियोजना हेतु व्यवर्तित क्षेत्र से दुग्ने क्षेत्र का वनीकरण।
- क्षेत्र में पूर्व में मौजूद जड़ भण्डार को विकसित करना।
- क्षेत्र में मौजूद विकृत पौधों को कटबैक कर सीधे वृक्ष के रूप में परिवर्तित करना।
- वृक्षारोपण क्षेत्र का वनीकरण कर क्षेत्र को हरा-भरा बनाना।
- क्षेत्र का जल संरक्षण संरचनाएं निर्मित कर जल-स्तर को ऊपर उठाना।
- समिति सदस्यों को रोजगार मुहैया कराना एवं कालान्तर में स्थापित वन से सस्टेनेबल लाभ प्राप्त करना।
- क्षेत्रीय जनता को रोजगार उपलब्ध करना।

12- उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

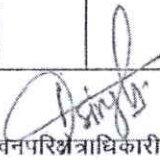
- कटबैक का क्षेत्र - प्राक्कलन अनुसार
 - वृक्षारोपण का क्षेत्र - 3.00 हेक्टेयर
 - भू एवं जल संरक्षण का क्षेत्र - प्राक्कलन अनुसार
- 13- रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे - ओबरी, जोगदहा, निगरी एवं रीवा नर्सरी
- 14- रोपणी से रोपण स्थल की दूरी - 75 कि.मी से 250 किलोमीटर
- लोकल ट्रेक्टर द्वारा (कि.मी.) - 15 कि.मी
 - सिखोइ द्वारा (कि.मी.) - 1 से 2 कि.मी.
- 15- सिंचाई का विवरण :-

**जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य का प्राक्कलन
चेक-लिस्ट**

स्थल- पिपरी, खसरा क्रमांक 245 (घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर) वर्ष 2024-25

क्र०	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रस्तावित राशि	प्रति (हेक्टेयर व्यय)	समिति की सामान्य जानकारी	उपचार की जानकारी	प्राक्कलन	उपचार मानचित्र	मूल मानचित्र	स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	घेराव कार्य हेतु प्रमाण-पत्र	ग्राम वन समिति का प्रस्ताव	.KML फाईल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य का ग्यारह वार्षिक प्राक्कलन	17	7033682	413746	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	ई-मेल से प्रेषण	


उपनियंत्रक कार्यालय
देवर


वनपरिभ्रमण अधिकारी
कर्तुआ

i-	जल स्रोत	-	टैंकर द्वारा
ii-	वृक्षारोपण से दूरी	-	3 कि.मी.
iii-	सिंचाई प्रकार	-	टैंकर द्वारा
iv-	बिजली उपलब्धता	-	निरंक
16-	योजना अवधि	-	2023-24 से 2033-34
17-	योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय (विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है)	-	218469
18-	प्रति हेक्टेयर व्यय		12851
19-	अन्य विवरण		

क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा हेतु संवेदनशीलता के मद्देनजर चैनलिंग फेंसिंग का प्रावधान रखा गया है तथा प्रभावी सुरक्षा हेतु परियोजना की अवधि ग्यारह वर्षीय रखी गई है। रोपण क्षेत्र की सुरक्षा ग्राम वन समितियों के माध्यम से की जायगी।

भाग-2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं।

परिसर रक्षक- श्री दिनेश कुमार रत्नाकर
सचिव- सामुदायिक वन प्रबंधन समिति पिपरी

प्रमाणित किया जाता है कि स्थल का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई।

परिक्षेत्र सहायक- श्री शिवेन्द्र कुमार रावत, वनपाल
परिक्षेत्र सहायक वृत्त- हरफरी

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार/वृक्षारोपण कार्य के योग्य है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कथुआ

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कथुआ

वैकल्पिक वृक्षारोपण का प्रावकलन

क्षेत्र तैयारी (प्रथम वर्ष 2023-24)

मानव दिवस रुपये 391.00

स्थल का नाम :- ग्राम पिपरी खसरा नम्बर 245

घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर

क्र०	जॉब दर आयतन नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग 1/1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	17	0.45	हेक्टेयर	7.65	2991	APCCF जॉब दर
2	भाग 1/2	क्षेत्र सफाई क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़ियाँ (लेन्टाना छोड़कर) एवं खकरी कटाई (20 से.मी. से नीचे) कर एकत्रित करना जलाना	15	4.00	हेक्टेयर	60.00	23460	APCCF जॉब दर
3	भाग 1/3	लेन्टाना उन्मूलन	0	12.50	हेक्टेयर	0.00	0	APCCF जॉब दर
4	भाग 1/3	कटबैक 20 से.मी. से कम गोलाई की विकृत अग्रिम पौध की कटाई	5	1.20	हेक्टेयर	6.00	2346	APCCF जॉब दर
5	भाग 1/4	स्टेकिंग- गड़दे खोदने के पूर्व रस्सी से लाईन खालना एवं चूने से गड़दे हेतु निशान लगाना अंतराल 3x2 मीटर एवं 4x4 मीटर	3000	2.50	हजार	7.50	2933	APCCF जॉब दर
6	भाग 1/5	गड़दा खुदाई						
		30x30x30 से.मी.	0	3.00	सैकड़	0.00	0	APCCF जॉब दर
		45x45x45 से.मी.	3000	5.00	सैकड़	150.00	58650	APCCF जॉब दर
7	RESSOR	फेंसिंग के चारों ओर तथा रोपण क्षेत्र में सेक्टर निर्माण तथा पहुँच मार्ग निर्माण	2.50	135000.00	प्रति कि.मी.	863.17	337500	RESSOR
8	भाग 1/10, 2/15. एवं RES SOR	भू एवं जल संरक्षण कार्य						APCCF जॉब दर
		1. कन्टूर ट्रैच/रिंग ट्रैच (3.00x0.45x0.45 मी.) खुदाई एलाइनमेंट सहित	500	0.3315	नग	165.75	64808	APCCF जॉब दर
		2. मिट्टी बंधान (मिट्टी के चेकडेम)	0	0.60	घ.मी.	0.00	0	APCCF जॉब दर
		3. लूज बॉल्डर चेकडेम	0	1.00	घ.मी.	0.00	0	APCCF जॉब दर
		4. कण्टूर बण्ड (0.60x0.45x0.30 से.मी.)	0	0.18	र.मी.	0.00	0	APCCF जॉब दर
		5. परकोलेशन टेक निर्माण	0	250000.00	र.मी.	0.00	0	RESSOR
		6. जल डबरी निर्माण (साईज 6.00x6.00x1.00 मीटर) 50 नग	1800	0.60	घ.मी.	1080.00	422280	RESSOR
		योग भू-जल संरक्षण कार्य -				1245.75	487088	
9	भाग 1/17	गड़दों में कीटनाशक, गोबर खाद मिश्रित मिट्टी बदलना	3000	1.50	सैकड़	45.00	17595	APCCF जॉब दर
10	एल.एस.	अस्थायी झोपड़ी निर्माण	-	-	एल.एस.	153.45	60000	एल.एस.
		योग मजदूरी -				2538.52	992563	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
11	निविदा दर	गड़दों में खालने के लिए उपजाऊ मिट्टी का संग्रहण एवं परिवहन (गड़दों के आयतन का 40 प्रतिशत)	109.35	829.00	घ.मी.	231.84	90651	निविदा दर
12	निविदा दर	गोबर खाद क्रय एवं परिवहन (गड़दों के आयतन का 20 प्रतिशत)	54.68	869.00	घ.मी.	121.52	47513	निविदा दर
13	एल.एस.	अन्य- व्यय (चूना, रस्सी, गेरू ब्लैक जापान क्रय, साईज बोर्ड, लोहे का गेट क्रय, आर.सी.सी. पोल, वैनेसिक फेंसिंग लोकल दुकानें आदि)	-	-	एल.एस.	383.63	150000	एल.एस.
		योग सामग्री -				735.99	288164	
		योग (मजदूरी+सामग्री) :-				3275.52	1280727	
वैनेसिक फेंसिंग आर.सी.सी. पोल के साथ								
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग 1/5	वैनेसिक फेंसिंग के लिये गड़दे खोदना (साईज 30x30x45 से.मी.) 2100 र.मी. में 2.50 मीटर के अन्तराल पर	840	3.80	सैकड़	31.92	12481	APCCF जॉब दर

2	मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/2222 रीवा, दिनांक 10.03.2010 से अनुमोदित दर अनुसार	ट्रकबुल व्हाइट से फोल गड्डे तक ले जाना तथा गड्डों में फोल गाड़ना, सीमेंट कंक्रीट तैयार कर कंक्रीटिंग कार्य करवाना (मिल्ट्री मजदूरी सहित) तथा अगले 4 दिन तक तसाई करना। चैनलिंग या तार ट्रकबुल व्हाइट से फेंसिंग स्थल तक ले जाना, तार या चैनलिंग खंभे में फंसाकर कतना, यूनेल्स लगाना तथा चैनलिंग की जमीनी सतह को मिट्टी से दबाना।	2.100	85.00	कि.मी.	178.50	69794	मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/2222 रीवा, दिनांक 10.03.2010 से अनुमोदित दर अनुसार
3	भाग 2/13	चैनलिंग फेंसिंग में तीन फॉल्ट (ऊपर, नीचे एवं मध्य) में बारबेड वॉयर खींचकर लगाना	2100	0.096	प्रति र.मी.	201.60	78826	APCCF जाँच दर
		योग मजदूरी -				412.02	161100	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
1	LUN की दर	फेंसिंग के लिये (Pre-Stressed) आर.सी. सी. पोल्स की खरीदी (2100 र.मी. के लिए कैची सहित) साईज 200 मी.	1008	248.00	नग	639.35	249984	LUN की दर
2	LUN की दर	चैनलिंग जाली खरीदी (2100 Rmt. X 1.50 = 3150 वर्ग मीटर के लिए) (साईज-100x100mmx4mm) 2.26kg./Sqm.	3150	155.00	वर्ग मी.	1248.72	488250	LUN की दर
3	LUN की दर	चैनलिंग के ऊपर एवं नीचे तथा मध्य में तनाव हेतु बारबेड वॉयर क्रय	1050	86.00	कि.ग्र.	230.95	90300	LUN की दर
4	निविदा दर	चैनलिंग को आर.सी.सी. पोल्स से बाँधने के लिये वाईडिंग वॉयर क्रय	393.75	70.00	कि.ग्र.	70.49	27563	निविदा दर
5	PWD SOR Item Number 4.1.2.2	पोल्स फिक्स करने के लिए सीमेंट काक्रीट 40 एम.एम. मेटल 138 - एक गड्डे का कुल आयाम 30X30X45 Cm. = 0.0405 कोक्रेट पोल्ट का आयाम कम करने पर 45x15x15Cm. = 0.0101 शुद्ध आयाम 0.0304 घ.मी. प्रति गड्डा	25.54					PWD SOR Item Number 4.1.2.2
	निविदा दर	सीमेंट क्रय (परिवहन सहित)	111	324.69	प्रति बोरी	92.26	36073	निविदा दर
		मिट्टी 40 एम.एम. क्रय (परिवहन सहित)	23.14	1149.00	प्रति घ.मी.	68.00	26587	
		रेता क्रय (परिवहन सहित)	11.57	1119.00	प्रति घ.मी.	33.11	12946	
		योग :-				2382.87	931703	
		योग फेंसिंग (मजदूरी+सामग्री) :-				2794.89	1092802	
		महायोग -				6070.41	2373529	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					139619	

वनपरिसेवाधिकारी
कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

द्वितीय वर्ष - 2024-25 (रोपण कार्य)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-गूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	-	पौधा रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त	3300	13.00	प्रति नग	109.72	42900	-
2	पूजा वन संरक्षक सेवा, वृक्ष रोपण के प्रथम वर्ष/व्यय एक/4556 सेवा, दिनांक 22.07.2014 से अनुषंगित दर	पौधा परिवहन (दूरी 50-250 कि.मी. तक, लोडिंग अनलोडिंग सहित)	3300	20.00	हजार	66.00	25806	पूजा वन संरक्षक सेवा, वृक्ष रोपण के प्रथम वर्ष/व्यय एक/4556 सेवा, दिनांक 22.07.2014 से अनुषंगित दर
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़दों तक पहुँचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	3300	0.40	सैकड़ा	13.20	5161	APCCF जॉब दर
4	भाग 3/5	पौधा रोपण कार्य						
		30x30x30 से.मी. गड़दों में रोपण	0	1.50	सैकड़ा	0.00	0	APCCF जॉब दर
		45x45x45 से.मी. गड़दों में रोपण	3000	1.80	सैकड़ा	54.00	21114	APCCF जॉब दर
5	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत एवं भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत कार्य	0.00	0.00	एल.एस.	306.91	120000	एल.एस.
6	भाग 2/10	निर्दाई कार्य						
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3000	1.25	सैकड़ा	37.50	14663	APCCF जॉब दर
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3000	1.00	सैकड़ा	30.00	11730	APCCF जॉब दर
		तृतीय निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3000	1.00	सैकड़ा	30.00	11730	APCCF जॉब दर
7	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर करी और 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटवाई सफाई एवं जलाई)	4.600	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
8	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	3000	0.60	सैकड़ा	18.00	7038	APCCF जॉब दर
9	भाग 2/11	बर्मी कम्पोस्ट खाद डलवाई कार्य (500 ग्राम प्रति पौधा)	3000	0.50	सैकड़ा	15.00	5865	APCCF जॉब दर
10	एल.एस.	पौधों की सिंचाई कार्य (टैंकर द्वारा दो बार)	0	0.00	एल.एस.	511.51	200000	एल.एस.
11	श्रमयुक्त दर	सुरक्षा कार्य	270	391.00	प्रति दिवस	270.00	105570	श्रमयुक्त दर
		योग मजदूरी -				1472.18	575624	
ब- सामग्री-गूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
12	एल.एस.	रासायनिक खाद (जी.ए.पी./कृषि) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम कृषि + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा)	0	0.00	एल.एस.	102.30	40000	एल.एस.
13	बाजार दर	बर्मी कम्पोस्ट (500 ग्राम प्रति पौधा) क्रय	1500	10.00	कि.ग्रा.	38.36	15000	बाजार दर
14	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय (बर्मी कम्पोस्ट परिवहन कार्य)	0	0.00	एल.एस.	51.15	20000	एल. एस.
		योग सामग्री -				191.82	75000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				1664.00	650624	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					38272	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरोली

तृतीय वर्ष - 2025-26 (रखरखाव का प्रथम वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	-	पौधा रोपण हेतु पौधा क्रय 20 प्रतिशत अतिरिक्त	600	13.00	प्रति नग	19.95	7800	-
2	मुख्य वन संरक्षक राज. इलाके के पत्र क्रमंक/व्यय एक/4598 से प्रमाणित	पौधा परिवहन (दूरी 50-250 कि.मी. तक, लोडिंग अनलोडिंग सहित)	600	30.00	हजार	18.00	7038	मुख्य वन संरक्षक राज. इलाके के पत्र क्रमंक/व्यय एक/4598 से प्रमाणित
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़कों तक पहुंचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	600	0.40	सैकड़ा	2.40	938	APCCF जॉब दर
4	भाग 2/9	मृत पौधों के स्थान पर नया पौधा लगाना प्रत्यारोपण कार्य	600	1.50	सैकड़ा	9.00	3519	APCCF जॉब दर
5	एल.एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	एल.एस.	306.91	120000	एल. एस.
6	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	242.97	95000	एल. एस.
7	भाग 2/10	निर्दाई कार्य						
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3000	1.25	सैकड़ा	37.50	14663	APCCF जॉब दर
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3000	1.00	सैकड़ा	30.00	11730	APCCF जॉब दर
		तृतीय निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3000	1.00	सैकड़ा	30.00	11730	APCCF जॉब दर
8	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	3000	0.60	सैकड़ा	18.00	7038	APCCF जॉब दर
9	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटवाई एवं जलाई)	4.600	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
10	एल.एस.	पौधों की सिंचाई कार्य (ट्रैक्टर द्वारा दो बार)	0	0.00	एल.एस.	255.75	100000	एल.एस.
11	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				1292.83	505495	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (वाजार दर पर आधारित)								
12	एल.एस.	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा)	0	0.00	एल.एस.	102.30	40000	एल.एस.
13	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	25.58	10000	एल. एस.
		योग सामग्री -				127.88	50000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				1420.70	555495	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					32676	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

चतुर्थ वर्ष 2026-27 (रखरखाव का द्वितीय वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	-	पौधा रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त	300	13.00	प्रति नग	9.97	3900	-
2	मुख्य वन संरक्षण सेवा, वृत्त सेवा के पत्र क्रमांक/व्यय एम/4595 सेवा, दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर	पौधा परिवहन (दूरी 50-250 कि.मी. तक, लोडिंग अनलोडिंग सहित)	300	48.00	हजार	14.40	5630	मुख्य वन संरक्षण सेवा, वृत्त सेवा के पत्र क्रमांक/व्यय एम/4595 सेवा, दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़बो तक पहुंचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	300	0.40	सेकड़ा	1.20	469	APCCF जॉब दर
4	भाग 2/9	मृत पौधों के स्थान पर नया पौधा लगाना प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)	300	1.50	सेकड़ा	4.50	1760	APCCF जॉब दर
5	एल.एस.	मू-जल संरक्षण कार्य का मरम्मत	0	0.00	एल.एस.	217.39	85000	एल. एस.
6	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	191.82	75000	एल. एस.
7	भाग 2/10	निर्दाई कार्य						
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3000	1.25	सेकड़ा	37.50	14663	APCCF जॉब दर
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3000	1.00	सेकड़ा	30.00	11730	APCCF जॉब दर
		तृतीय निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3000	1.00	सेकड़ा	30.00	11730	APCCF जॉब दर
8	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	3000	0.60	सेकड़ा	18.00	7038	APCCF जॉब दर
9	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई लकाई एवं जलाई)	4.600	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
10	एल.एस.	पौधों की सिंचाई कार्य (टैंकर द्वारा दो बार)	0	0.00	एल.एस.	255.75	100000	एल.एस.
11	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				1132.89	442958	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
12	एल.एस.	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा)	0	0.00	एल.एस.	102.30	40000	एल.एस.
14	एल. एस.	अन्य आकरिमक व्यय			एल.एस.	12.79	5000	एल. एस.
		योग सामग्री -				115.09	45000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				1247.98	487958	
		व्यय प्रति हेक्टेयर					28703	

वसुधैव कुटुम्बकम्

कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी

देवसर

वनमण्डलाधिकारी

सिंगरौली

पंचम वर्ष 2027-28 (स्खरखाव का तृतीय वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ	मजदूरी मूलक कार्य	(मानव दिवस आधारित)						
1	एल. एस.	फॉसिंग मरम्मत	0	0.00	एल.एस.	191.82	75000	एल. एस.
2	एल. एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	एल.एस.	242.97	95000	एल. एस.
3	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (क्षारोपन क्षेत्र में कंसिंग के बाहर जारी और 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	4.60	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
4	अभ्यायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	अभ्यायुक्त दर
		योग मजदूरी -				757.13	296039	
ब-	सामग्री-मूलक कार्य	(बाजार दर पर आधारित)						
5	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	2.56	1000	एल. एस.
		योग सामग्री -				2.56	1000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				759.69	297039	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					17473	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

षष्ठम वर्ष 2028-29 (रखरखाव का चतुर्थ वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग 1/2	हरे वर्ष वृक्षारोपण क्षेत्र की सफाई	17	4.00	हेक्टेयर	68.00	26588	सी.एफ. जॉब दर
2	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत एवं भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	242.97	95000	एल.एस.
3	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटवाई सफाई एवं जलाई)	4.60	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
4	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				633.32	247627	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
4	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	2.05	800	एल.एस.
		योग सामग्री -				2.05	800	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				635.36	248427	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					14613	


वृक्षपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ


उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर


वनमण्डलाधिकारी
सिंगरीली

सप्तम वर्ष 2029-30 (रखरखाव का पंचम वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फॉसिंग मरम्मत एवं भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	250.64	98000	एल. एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृजारोपण क्षेत्र में फॉसिंग के बाहर घातों और 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई तथाई एवं जलाई)	4.60	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				572.99	224039	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
3	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	1.79	700	एल. एस.
		योग सामग्री -				1.79	700	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				574.78	224739	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					13220	

उपनिर्देशाधिकारी
कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

अष्टम वर्ष 2030-31 (रखरखाव का षष्ठम वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत एवं भू-जल संरक्षण कार्य का मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	191.82	75000	एल.एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (क्षेत्रीय क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर घातों और 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	4.60	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				514.17	201039	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
3	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	1.53	600	एल.एस.
		योग सामग्री -				1.53	600	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				515.70	201639	
		व्यय प्रति हेक्टर -					11861	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

नवम् वर्ष 2031-32 (रखरखाव का सप्तम वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फेसिंग मरम्मत एवं भू-जल संरक्षण कार्य का मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	153.45	60000	एल. एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (नृक्षारोपण क्षेत्र में फेसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में कायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	4.60	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				475.80	186039	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (वाजार दर पर आधारित)								
3	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	1.28	500	एल. एस.
		योग सामग्री -				1.28	500	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				477.08	186539	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					10973	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्धुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरीली

दशम् वर्ष 2032-33 (रखरखाव का अष्टम वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत एवं भू-जल संरक्षण कार्य का मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	102.30	40000	एल. एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (कृषारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर कारो ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	4.60	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				424.65	166039	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
3	एल. एस.	जन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	0.00	0	एल. एस.
		योग सामग्री -				0.00	0	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				424.65	166039	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					9767	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

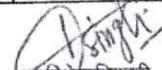
उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

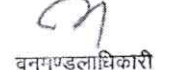
एकादशम् वर्ष 2033-34 (रखरखाव का नवम् वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				312.00	121992	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
2	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	0.00	0	एल. एस.
		योग सामग्री -				0.00	0	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				312.00	121992	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					7175	

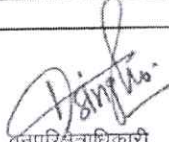

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

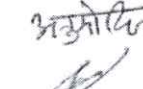

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर


वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

वर्षवार व्यय का गोशवारा

क्र०	कार्य का विवरण	राशि	कुल मानव दिवस	प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि लेने पर गुणांक	कुल आवश्यक राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम वर्ष 2024-25 (क्षेत्र तैयारी)	2373529	6070.41	391.00	2373529	139619
2	द्वितीय वर्ष 2025-26 (रोपण)	650624	1664.00	414.46	689661	40568
3	तृतीय वर्ष 2026-27 (रखरखाव)	555495	1420.70	439.33	624154	69350
4	चतुर्थ वर्ष 2027-28 (रखरखाव)	487958	1247.98	465.69	581166	64574
5	पंचम वर्ष 2028-29 (रखरखाव)	297039	759.69	493.63	375005	22059
6	षष्ठम वर्ष 2029-30 (रखरखाव)	248427	635.36	523.25	332451	19556
7	सप्तम वर्ष 2030-31 (रखरखाव)	224739	574.78	554.64	318796	18753
8	अष्टम वर्ष 2031-32 (रखरखाव)	201639	515.70	587.92	303190	17835
9	नवम् वर्ष 2032-33 (रखरखाव)	186539	477.08	623.19	297315	17489
10	दशम वर्ष 2033-34 (रखरखाव)	166039	424.65	660.59	280519	16501
11	एकादशम वर्ष 2034-35 (रखरखाव)	121992	312.00	700.22	218469	12851
	योग :-	5514019			6394256	376133
1	आस्थामूलक कार्य (जे.एफ.एम. आदि) कुल दस वर्ष के व्यय का 5 प्रतिशत		6394256	5%	319713	18807
2	मानव संसाधन विकास कार्य कुल दस वर्ष के व्यय का 1 प्रतिशत		6394256	1%	63943	3761
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य कुल दस वर्ष के व्यय का 4 प्रतिशत		6394256	4%	255770	15045
	योग :-				7033682	413746


वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य)

वन संरक्षक
रीवा, वृत्त रीवा (मध्यप्रदेश)


उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

नवीनीकरण आदेश क्रमांक/म.सि./151 दिनांक/27-06-2024 से स्वीकृति प्रदान की गई।

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र कर्तुआ अन्तर्गत बीट धानी अन्तर्गत खसरा क्रमांक 245 घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



वनरक्षक

बीट गार्ड धानी

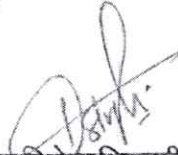
प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र कर्तुआ अन्तर्गत बीट धानी अन्तर्गत खसरा क्रमांक 245 घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



परिक्षेत्र सहायक

हरफरी

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र कर्तुआ अन्तर्गत बीट धानी अन्तर्गत खसरा क्रमांक 245 घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



वनपरिक्षेत्राधिकारी

कर्तुआ

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य) अन्तर्गत वन परिक्षेत्र के बीट धानी अन्तर्गत खसरा क्रमांक 245 घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर क्षेत्र का स्थल निरीक्षण एवं मौका सत्यापन मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण एवं मौका सत्यापन के दौरान प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जाने हेतु उपयुक्त है।

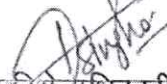

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य)

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र पिपरी खसरा 245 घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर में पूर्व में किसी भी मद से वृक्षारोपण कार्य नहीं कराया गया है और न ही उक्त स्थल पर किसी अन्य मद से वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है।


उपमहानिदेशिका
कर्थुआ


वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्थुआ

फेंसिंग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र पिपरी खसरा क्रमांक 245 रकबा 17.00 हेक्टेयर वन परिक्षेत्र कर्थुआ में स्थित है। इस स्थल के समीप पत्थर दीवार/फेंसिंग बनाने हेतु पत्थर की उपलब्धता नगण्य है। "वृक्षारोपण क्षेत्र के घेराव का एक मात्र एवं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चैनलिंग फेंसिंग ही है, वृक्षारोपण क्षेत्र में चैनलिंग फेंसिंग का घेराव हो जाने पर वृक्षारोपण क्षेत्र एवं चैनलिंग फेंसिंग की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी"


उपमहानिदेशिका
कर्थुआ


उपमहानिदेशिका
कर्थुआ

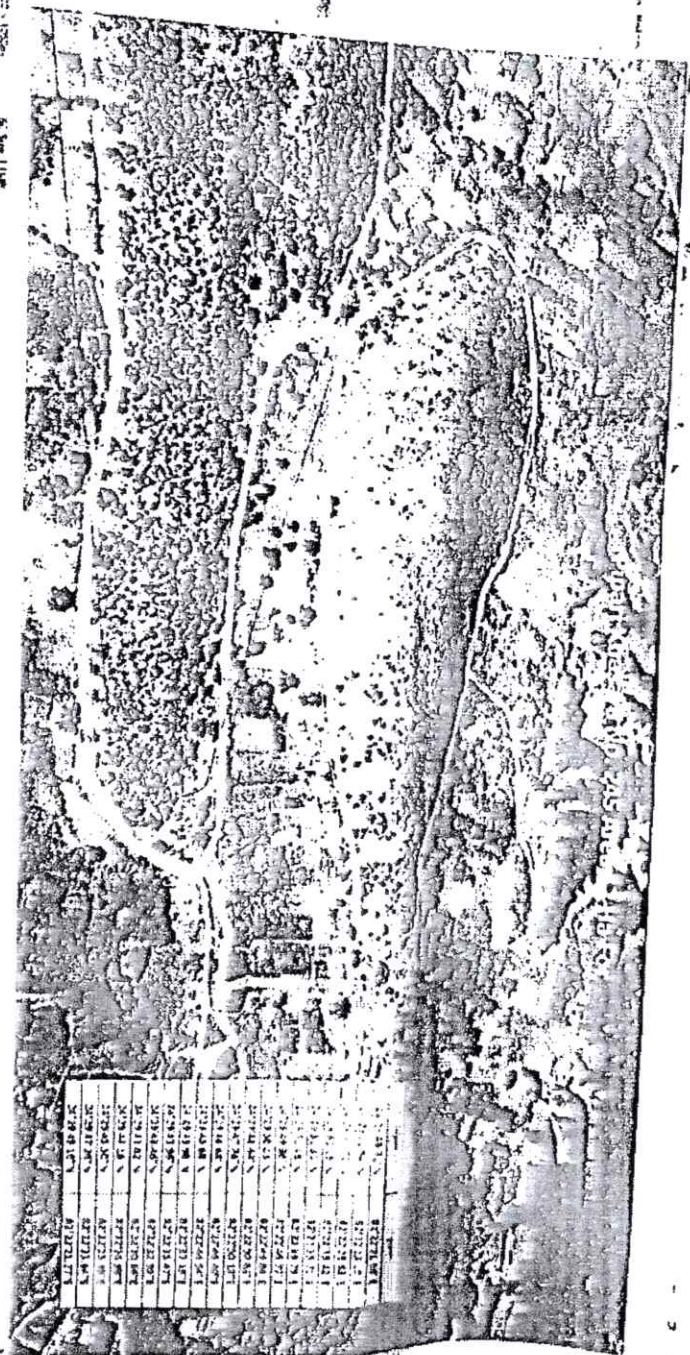

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्थुआ

245-245

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. Name of the person or organization
 2. Address
 3. City
 4. State
 5. Zip
 6. Phone
 7. Fax
 8. E-mail
 9. Website
 10. Other

1. Name of the person or organization
 2. Address
 3. City
 4. State
 5. Zip
 6. Phone
 7. Fax
 8. E-mail
 9. Website
 10. Other



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ପ୍ର. ପା.

(अब काया निवेद)

[illegible]

(1) धर्म का अर्थ है विद्या।

5. 03. 2008

11/20/2020

完日已元

Casey
Lynette
Plymouth
L.S.)

2007-08-20
2007-08-20
2007-08-20

Handwritten notes on the left margin of the page, including the date "12-2-82" and the name "E. B. 212".

W242946 "W242945"
E222273 "E222272"

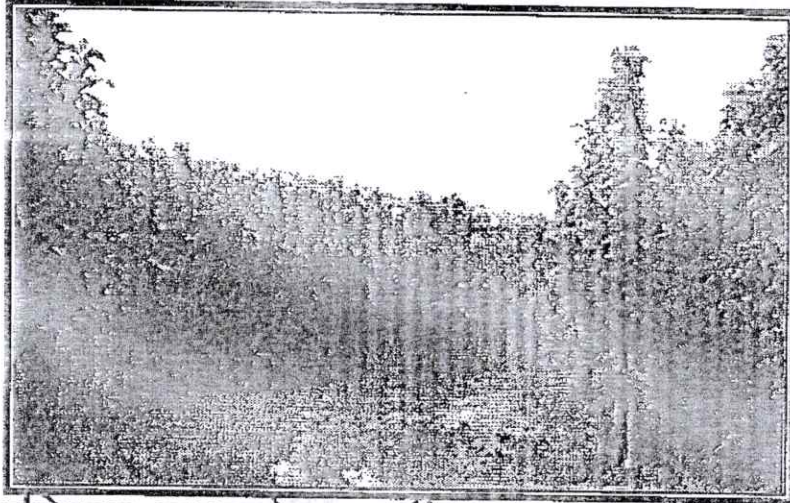
0-962088

222351.B
E922385

Double
of 9.7 m/s²

60113
91152710
~~91152710~~

परियोजना प्रतिवेदन



वैकल्पिक वृक्षारोपण की ग्यारह वर्षीय योजना

योजना का नाम	— गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण
कक्ष क्रमांक	— पी.एफ. 421
क्षेत्रफल	— 14 है०
योजना अवधि	— 2024-2025 से 2034-2035
प्रस्तावित राशि	— 8350993
पति हेक्टेयर व्यय	— 596500

वन परिक्षेत्र — माड़ा

वनमंडल — सिंगरौली (म.प्र.)

वनवृत्त — रीवा (मध्य प्रदेश)

सामान्य विवरण

परियोजना का नाम :- गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना
अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण

1. जिला :- सिंगरौली
2. वनमण्डल :- सिंगरौली
3. परिक्षेत्र :- माड़ा
4. तहसील :- माड़ा
5. ग्राम पंचायत :- झांझीटोला
6. बीट का नाम :- मकरोहर
7. कक्ष क्रमांक :- पी.एफ. 421
8. ग्राम वन समिति का नाम :- झांझीटोला
9. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- आर.डी.एफ.
10. भिट्टी का प्रकार :- सैण्डीलोम
11. साईट क्वालिटी :- IV B

वैकल्पिक वृक्षारोपण

ग्राम वन समिति झांझीटोला

कक्ष क्र : PF. 421

परिक्षेत्र : माड़ा

प्रस्तावित कार्य एवं औचित्य

क्र०	प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित कार्यों का औचित्य
1	चेनलिंग फेसिंग	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थलों की सीमापर सुरक्षा हेतु चेनलिंग फेसिंग प्रस्तावित है क्योंकि क्षेत्र के आस-पास औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण रोपण क्षेत्र पर अत्याधिक जैविक दबाव है एवं क्षेत्र अतिक्रमण हेतु संवेदनशील है।
2	रोपित किये जाने वाली प्रजातियों का चयन	क्षेत्र में रोपित किये जाने हेतु क्रमशः सागौन, बांस, आंवला, महुआ, करंज, अर्जुन, का चयन किया गया है। चयनित प्रजातियाँ क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा कालान्तर में क्षेत्रीय जनता की आवश्यकताओं की क्षतिपूर्ति करेंगी एवं वन क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करेंगी तथा प्रति इकाई उपलब्ध होने वाली वनोपज एवं उसके मूल्य की वृद्धि करेगी।
		महुआ पौधों का रोपण—महुआ सिंगरौली जिले की विशेष प्रजाति है जो यहाँ के अधिकांश ग्रामीणों के जीवोपार्जन में सहयोगी रही है। अतः प्रस्तावित रोपण स्थल में रिक्त स्थानों में सागौन के साथ मिश्रण कर महुआ पौधों का रोपण एवं बीज रोपण प्रस्तावित किया जा रहा है, ताकि स्थानीय ग्रामीणों को महुआ व उपलब्धता बनी रहें।
		स्थानीय वनों में पाई जाने वाली प्रजातियाँ जैसे आंवला, महुआ, करंज, खम्हार, साजा, आदि के बीजों बोवाई करने का प्रस्ताव रोपण क्षेत्र में किया जा रहा है ताकि जैवविविधता का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
		प्रस्तावित रोपण योजना में प्रयास यह किया जावेगा प्राकृतिक रूप से वनों में पाई जाने वाली प्रजातियाँ विद्यमान रहें, ताकि क्षेत्र के माईक्रोक्लाईमेट को क्षति न पहुँचे। इस कारणवश स्थानीय वन क्षेत्र के लिए बाहरी प्रजातियों रोपण प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है।
3	भू-जल संरक्षण संरचनाएं	क्षेत्र भूक्षरण से प्रभावित है अतः क्षेत्र की भू एवं जल संरक्षण हेतु आवश्यक संरचनाएं चेकडेम, परकोलेशन टैंक, नाला बंधान का प्रस्ताव क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है।

4	पर्यावरण संरक्षण	औद्योगिक प्रदूषण से होने वाली क्षति एवं जिन वनों का जैविक दबाव से हास हो रहा था क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा एवं रोपण कर पुनः क्षेत्र को हरीतिमा से आच्छादित कर पर्यावरणसुधार हेतु आवश्यक सहयोग दिया जाना प्रस्तावित हैं।
5	जैव विविधता का संरक्षण एवं विकास	प्रस्तावित क्षेत्र में वर्तमान में उपलब्ध सभी प्रजातियों की पूर्ण सुरक्षा एवं प्रस्तावित संवर्धन कार्य जैसे सी.बी.ओ. विकृत पौध कटाई एवं स्थानिय प्रजातियों के बीज बोवाई आदि कार्य से क्षेत्र को विकसित करने का समुचित अवसर प्रदान कराया जा रहा है।
6	जन सहयोग प्राप्त कर संयुक्त वनप्रबंध का सुदृढीकरण	प्रस्तावित रोपण स्थलों से संबंध ग्रामीणों को समुचित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा साथ ही आस्थामूलक राशि का उनके प्रस्तावानुसार स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यय किया जावेगा। कालान्तर में रोपण में प्राप्त होने वाली वनोपज का उपयोग कर संयुक्त वन प्रबंध के व्यवस्था को सुदृढ किया जाना प्रस्तावित हैं।
7	रोपण हेतु रणनीति	प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में अत्याधिक जैविक दबाव से भूमि ठोस हो गई है। अतः रोपण की सफलता हेतु गड्डों का आकार 45x45x45 रखा जा रहा है।
8	मानव संसाधन विकास	मानव संसाधन विकास हेतु परियोजना प्रतिवेदन में पृथक से प्रावधान रखा गया है जिसमें स्थलों के आस-पास रहने वाले ग्रामीणों को विभिन्न वनोपज आधारित कुटीर उद्योगों जैसे बांस द्वारा निर्मित उत्पाद, महुआ एवं आवले का क्रय एवं विपणन आदि में प्रशिक्षित कर रोजगार के साधन विकसित किये जावेंगे जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
9	इकोटूरिज्म	रोपित क्षेत्रों को हरीतिमा से आच्छादित कर औद्योगिक क्षेत्र के निवासियों के मन में पर्यावरण के प्रति रुझान एवं जागृति उत्पन्न की जावेगी।
10	अनुसंधान एवं विस्तार प्रदर्शन प्रक्षेत्र	रोपित क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं को निर्मित कर क्षेत्र को भूक्षरण से होने वाले क्षति तथा रोपण से होने वाले लाभ की जानकारी जन सामान्य एवं कर्मचारियों को उपलब्ध कराना तथा वनों के सर्वांगीण विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करना।
11	अधो संरचना विकास	अधोसंरचना विकास की राशि से नाका /परिक्षेत्र सहायक आवास एवं बाउड्रीवाल निर्माण का कार्य कर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने के साथ-साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भाग - 1 सामान्य विवरण

1.	योजना का विवरण	गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण
	(अ) योजना का नाम	वैकल्पिक वृक्षारोपण
	(ब) भारत सरकार का अनुमोदन	
	(स) प्रत्यावर्तित वनभूमि का विवरण	वनभूमि
1.	जिला	— सिंगरौली (मध्य प्रदेश)
2.	वन मण्डल	— सिंगरौली
3.	परिक्षेत्र	— माड़ा
4.	तहसील	— माड़ा
5.	विकास खण्ड	— वैढन
6.	विधान सभा क्षेत्र	— सिंगरौली
7.	क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	— मकरोहर
8.	क्षेत्रीय परिसर (बीट)	— मकरोहर
9	स्थल विशेष जानकारी	—
	ग्राम वन समिति	— ग्राम वन समिति झांझीटोला
	वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक	— पी.एफ. 421
	कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे०)	— 456.83 है०
	कार्यवृत्त	— आर.डी.एफ.
	उपचार श्रेणी/प्रबंध श्रेणी	— मकरोहर
	उपचार इकाई/कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष	— —
	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	— 25-30 कि०मी०
10	गठित समिति का प्रकार	— ग्राम वन समिति झांझीटोला
11	समिति का मुख्यालय	— मकरोहर
12	समिति में सम्मिलित ग्राम	— झांझीटोला
13	समिति के अध्यक्ष का नाम	— श्रीमती सुखमन्ती सिंह गोंड
14	परिसर रक्षक/वन रक्षक का नाम	— श्री अविनाश पति त्रिपाठी वनरक्षक
15	परिक्षेत्र सहायक का नाम	— श्री सुखलाल साकेत उपवनक्षेत्रपाल

	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल
आदिवासी	140	120	260	130	120	250	15	10	25	0	0	0	285	250	535
हरिजन	20	15	35	30	20	50	5	3	8	0	0	0	55	38	93
पिछड़ा वर्ग	250	210	460	180	150	330	20	10	30	0	0	0	450	370	820
सामान्य	110	80	190	75	50	125	0	0	0	0	0	0	185	130	315
योग	520	425	945	415	340	755	40	23	63	0	0	0	975	788	1763

17-

उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं रचना -

- | | | | |
|-------|---|---|----------------------------|
| i- | टोपोग्राफी | - | समतल, उबड़-खबड़ एवं पहाड़ी |
| ii- | एस्पेक्ट | - | चारों ओर |
| iii- | ढलान | - | उत्तर-दक्षिण |
| | A- पानी निकासी | | अच्छी |
| | B- भू-क्षरण | | मध्यम |
| iv- | चट्टानों का विवरण | - | सैण्डस्टोन |
| v- | मिट्टी का प्रकार | - | सेन्डीलोम |
| vi- | औसत वार्षिक वर्षा | - | 110 से.मी. |
| vii- | नरम मिट्टी का क्षेत्र | - | 10 हेक्टेयर |
| viii- | कड़ी मिट्टी का क्षेत्र | - | 04 हेक्टेयर |
| ix- | पथरीली मिट्टी | - | निल |
| x- | आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र | - | निल |
| xi- | आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र | - | निल |
| xii- | खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना) क्षेत्र | - | निरंक |
| xiii- | वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र | - | 14 हेक्टेयर |
| xiv- | चारागाह रोपण योग्य क्षेत्र | - | निरंक |
| xv- | विकृत बांस का क्षेत्र | - | निरंक |
| xvi- | क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) है | - | निरंक |

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	सामान्य	40 प्रतिशत	निरंक
घराई	निरंक	निरंक	निरंक
मानव	सामान्य	सामान्य	निरंक

18-

योजना का उद्देश्य

- A- परियोजना हेतु व्यवर्तित क्षेत्र से दुग्ने क्षेत्र का वनीकरण।
 B- क्षेत्र में पूर्व में मौजूद जड़ भण्डार को विकसित करना।
 C- क्षेत्र में मौजूद विकृत पौधों को कटबैक कर सीधे वृक्ष के रूप में परिवर्तित करना।
 D- वृक्षारोपण क्षेत्र का वनीकरण कर क्षेत्र को हरा-भरा बनाना।
 E- क्षेत्र का जल संरक्षण संरचनाएं निर्मित कर जल-स्तर को ऊपर उठाना।
 F- समिति सदस्यों को रोजगार मुहैया कराना एवं कालान्तर में स्थापित वन से सस्टेनेबल लाभ प्राप्त करना।
 G- क्षेत्रीय जनता को रोजगार उपलब्ध करना।

19-	उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण	
	i- कटबैक का क्षेत्र	— निरंक
	ii- वृक्षारोपण का क्षेत्र	— 14 हेक्टेयर
	iii- भू एवं जल संरक्षण का क्षेत्र	— 02 हेक्टेयर
20-	रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे	— ओबरी, टिकरी, निगरी एवं मोरवा नर्सरी
21-	रोपणी से रोपण स्थल की दूरी	—
	i- वाहन द्वारा (कि.मी.)	— 100 कि.मी से 180 किलोमीटर
	ii- सिरबोज़ द्वारा (कि.मी.)	— 1 से 2 कि.मी.
22-	सिंचाई का विवरण :-	
	i- जल स्रोत	— नदी, नाला
	ii- वृक्षारोपण से दूरी	— 1 कि०मी०
	iii- सिंचाई प्रकार	— मजदूरी
	iv- बिजली उपलब्धता	— निरंक
23-	योजना अवधि	— वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक
24-	योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय (विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न हैं)	— 8350993
25-	प्रति हेक्टेयर व्यय	596500
26-	अन्य विवरण	

क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा हेतु संवेदनशीलता के मद्देनजर चैनलिंग फेंसिंग का प्रावधान रखा गया है तथा प्रभावी सुरक्षा हेतु परियोजना की अवधि ग्यारह वर्षीय रखी गई है। रोपण क्षेत्र की सुरक्षा ग्राम वन समितियों के माध्यम से की जायगी।

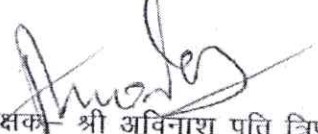

R.O. Madet


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेडन

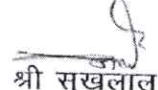
भाग-2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं।


परिसर रक्षक- श्री अविनाश पति त्रिपाठी वनरक्षक
सचिव- ग्राम वन समिति झांझीटोला

प्रमाणित किया जाता है कि स्थल का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई।


परिक्षेत्र सहायक- श्री सुखलाल साकेत उपवनक्षेत्रपाल
परिक्षेत्र सहायक वृत्त- मकरोहर

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार/वृक्षारोपण कार्य के योग्य है।


S. S. Wardhan
उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेदुन


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र माड़ा अन्तर्गत बीट मकरोहर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 421 रकवा 14 हेक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



वनरक्षक

बीट गार्ड मकरोहर

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र माड़ा अन्तर्गत बीट मकरोहर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 421 रकवा 14 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण कराये जानें हेतु उपयुक्त है।

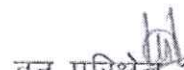


परिक्षेत्र सहायक
मकरोहर

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र माड़ा अन्तर्गत बीट मकरोहर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 421 रकवा 14 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेदन



वन परिक्षेत्र अधिकारी
माड़ा

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण बीट मकरोहर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 421 रकबा 14 हेक्टेयर वन परिक्षेत्र माड़ा में स्थित है। इस स्थल के समीप पत्थर दीवार/फेंसिंग बनाने हेतु पत्थर की उपलब्धता नगण्य है। "वृक्षारोपण क्षेत्र के घेराव का एक मात्र एवं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चैनलिंग फेंसिंग ही है, वृक्षारोपण क्षेत्र में चैनलिंग फेंसिंग का घेराव हो जाने पर वृक्षारोपण क्षेत्र एवं चैनलिंग फेंसिंग की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी"


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल देवसर


वन परिक्षेत्र अधिकारी
माड़ा


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिंगरौली

चेक-लिस्ट

स्थल- मकरोहर , पी.एफ. 421, रकबा 14 हेक्टेयर वर्ष 2024-25

क्र०	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रस्तावित राशि	प्रति (हेक्टेयर व्यय)	समिति की सामान्य जानकारी	उपचार की जानकारी	प्राथकलन	उपचार मानचित्र	गूगल मानचित्र	स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	घोराव कार्य हेतु प्रमाण-पत्र	ग्राम वन समिति का प्रस्ताव	.KML फाईल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गाड़ देपसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत सैकलियक वृक्षारोपण	14	8350993	596500	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	ई-मेल से प्रेषण	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र गाडा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 14000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	5500	1 से 1.5 वर्ष	45 सेमी.	3.5 से 5 सेमी.
आंवला	2000	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
खम्हेर	2000	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
करंज	2000	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
सीसम	1000	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
अर्जुन	500	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
जामुन	—	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
नीम	1000	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
योग—	14000			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी चेकडेम एवं परकोलेशन टैंक बनाये जायेंगे। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से पत्थर चेकडेम निर्माण कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिक फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

6. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्डाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत चौथे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। पांचवें वर्ष में 2 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधों स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 14 हेक्टेयर)

(असिंचित)

वैकल्पिक वृक्षारोपण की ग्यारह वर्षीय योजना

बीट - मकरोहर

कक्ष क्रमांक

PF 421

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

14

हेक्टेयर

दर

391

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2024-25

संख्या 1000 पीधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्व एवं सीमांकन हे०	14	हे०	0.45	हे०	6	2463	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट.	14	हे०	1.00	-	14	5474	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	14	हे०	4.00	प्रति हे०	56	21896	जॉबदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	हे०	12.50	प्रति हेक्ट	63	24438	जॉबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की गेस साइज, 12 गेज वेनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 3cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	16000	र.मी.	2.4	र.मी.	3840	1501440	गणना के आधार पर
7	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	14000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	35	13685	जॉबदर
8	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई संख्या 45x45x45 cm.	14000	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	700	273700	जॉबदर
9	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	382.73	घ०मी०	1.5	घ०मी०	574	224468	बाजार दर
10	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	191.36	घ०मी०	3	घ०मी०	574	224468	बाजार दर
11	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	14000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	210	82110	जॉबदर
12	हट निर्माण	1	Lumsum			256	100000	अनुमानित
13	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					450	175950	अनुमानित
	योग					6778	2650092	
14	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		14 हे०					
	1. मिट्टी बंधन (मिट्टी के चेकडेम)	456	घ.मी.	0.60	घ.मी.	274	106978	APCCF जॉब
	2. लूज बोल्टर चेकडेम	100	घ.मी.	1.00	घ.मी.	100	39100	APCCF जॉब
	3. परकोलेशन टैंक निर्माण	1	प्रति नग	500000	प्रति नग	1279	500000	RES 50R
	योग भू-जल संरक्षण कार्य -	योग				1652	646078	
	कुल योग					8430	3296170	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेदुन

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र गाड़ा

योजना का द्वितीय वर्ष 2025-26

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	14000	पौधे	0.03968	पौधा	556	217208	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	2800	पौधे	0.03968	पौधा	111	43442	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	16800	पौधे	1.78	सैकड़ा	299.04	116925	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	16800	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	67.2	26275	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	5	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्ट	40	15640	जॉबदर
4	रोपण							
	45x45x45 cm.	14000	गद्दे	1.8	प्रति सैकड़ा	252	98532	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	14000	गद्दे	1.25	प्रति सैकड़ा	175	68425	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	14000	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	140	54740	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	14000	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	140	54740	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	14000	गद्दे	0.6	प्रति सैकड़ा	84	32844	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	7	2815	जॉबदर
10	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	9	माह			270	105570	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	14000			Lumsum	200	78200	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					150	58650	अनुमानित
					योग:-	2496	976102	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेदन

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगवली

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

योजना का तृतीय वर्ष 2026-27

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	1400	नग	0.03968	पौधा	56	21721	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	1400	नग	1.78	प्रति सैकड़ा	24.92	9743.72	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1400	नग	0.4	प्रति सैकड़ा	5.6	2189.6	जॉबदर
3	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	1600	र.मी.	1	र.मी.	100	39100	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	14000	गद्दे	1.25	प्रति सैकड़ा	175	68425	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	14000	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	140	54740	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	14000	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	140	54740	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	14000	गद्दे	0.6	प्रति सैकड़ा	84	32844	जॉबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	7	2815	जॉबदर
9	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		गद्दे		Lumsum		0	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	78200	अनुमानित
योग:-						1298	507374	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेदना

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

योजना का चतुर्थ वर्ष 2027-28

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		दर	391	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	1400	नग	0.03968	पौधा	56	21721	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	1400	नग	1.78	सैकड़ा	25	9743.72	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1400	नग	0.4	सैकड़ा	6	2189.6	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	14000	नग	1.25	सैकड़ा	175	68425	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	14000	नग	1	सैकड़ा	140	54740	जॉबदर
5	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	14000	नग	1	सैकड़ा	140	54740	जॉबदर
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	14000	नग	0.6	सैकड़ा	84	32844	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	7	2815	जॉबदर
8	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	78200	अनुमानित
	योग:-					1198	468274	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेड़न

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2028-29

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	1600	र.मी.	1	र.मी.	120	46920	अनुमानित
2	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	14000	नग	1.25	1.25/100	175	68425	जॉबदर
3	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	14000	नग	1	1 मादि/100	140	54740	जॉबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	14000	नग	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	84	32844	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	3.35 /किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	2.25/किमी	7	2815	जॉबदर
6	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
7	अन्य व्यय					100	39100	अनुमानित
	योग:-					992	387700	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेड़न

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

योजना का अष्टम वर्ष 2031-32

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	20	7820	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	34	13294	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	19550	अनुमानित
	योग:-					464	181424	

योजना का नवम वर्ष 2032-33

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	7	2815	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	19550	अनुमानित
	योग:-					423	165221	

योजना का दशम वर्ष 2033-34

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	7	2815	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	19550	अनुमानित
	योग:-					423	165221	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2034-35

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	7	2815	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	19427	अनुमानित
	योग:-					422	165098	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेदन

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगौली

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

गोश्वारा, आदर्श रोपण
14 हे० असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि उपरान्त प्रस्तावित मानव दिवस	राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय (रु० में)
प्रथम 2024-25	8430	1	8430	3296169.83	235440.70
द्वितीय 2025-26	2496	1.06	2646	1034667.89	73904.85
तृतीय 2026-27	1298	1.1236	1458	570085.55	40720.40
चतुर्थ 2027-28	1198	1.191	1426	557714.47	39836.75
पंचम 2028-29	992	1.2625	1252	489471.20	34962.23
षष्ठम 2029-30	464	1.3382	621	242900.89	17350.06
सप्तम 2030-31	523	1.4185	741	289829.28	20702.09
अष्टम 2031-32	464	1.504	698	272861.70	19490.12
नवम 2032-33	423	1.594	674	263362.21	18811.59
दशम 2033-34	423	1.69	714	279223.42	19944.53
ग्यारवा 2034-35	422	1.79	756	295525.75	21108.98
कुल योग	17132	14.9718	19416	7591812.19	542272.30
प्रति हे० व्यय				542272	
आस्था मूलक कार्य(जे०एफ०एम० आदि) कुल 11 वर्ष के व्यय का 5%		5%	971	379591	27114
मानव संसाधन विकास कार्य कुल 11 वर्ष के व्यय का 1%		1%	194	75918	5423
मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य कुल 11 वर्ष के व्यय का 4%		4%	777	303672	21691
योग -		10%	1942	759181	54227
कुल योग -			21358	8350993	596500

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माडा

उप वनमण्डल अधिकारी
उप वन मण्डल बैढ़न

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सिंगरौली (सा०)

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म०प्र०)

तकनीकी स्वीकृति आदेशा क्रमांक/मा सि/151 दिनांक 27-06-2024

रेल गार्डन

गन्तव्य - उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर
पुनर्वास क्षेत्र
गिर - उत्तर
कोटा - 14

U
S

प्रत्यक्ष क्षेत्र

P-421

प्रत्यक्ष क्षेत्र -
कोटा

वापसी क्षेत्र
प्रत्यक्ष क्षेत्र

पुनर्वास क्षेत्र
वापसी क्षेत्र

पुनर्वास क्षेत्र

पुनर्वास क्षेत्र
पुनर्वास क्षेत्र

पुनर्वास क्षेत्र
पुनर्वास क्षेत्र

Geo Referenced map for compensatory Afforestation

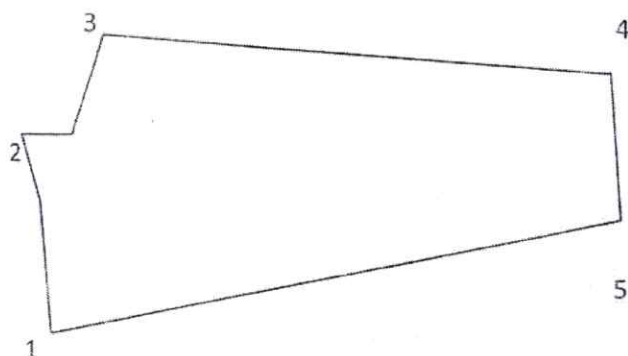
Division :- Singrauli

Propasal No :-

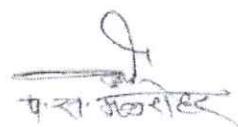
Proposal Name :- Gond Dewsar Gramin Samuh Jal Praday Yojana

Compartment No :- PF 421 14 Heq

Sr N	Latitude (N)	Longitude (E)
1	23°54'47.87"N	82°38'14.77"E
2	23°54'56.70"N	82°38'14.58"E
3	23°55'0.82"N	82°38'18.57"E
4	23°54'58.96"N	82°38'30.82"E
5	23°54'53.78"N	82°38'31.40"E




वनरक्षक
बीट गार्ड मकरोहर


प.रा. मकरोहर


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र-माझा

Write a description for your map.

 Belahnamth Mandir
 BHAGWAN FILLING STATION
 Feature 1
 Feature 2

Sarajhar

422

042

Belechnaň Mandr

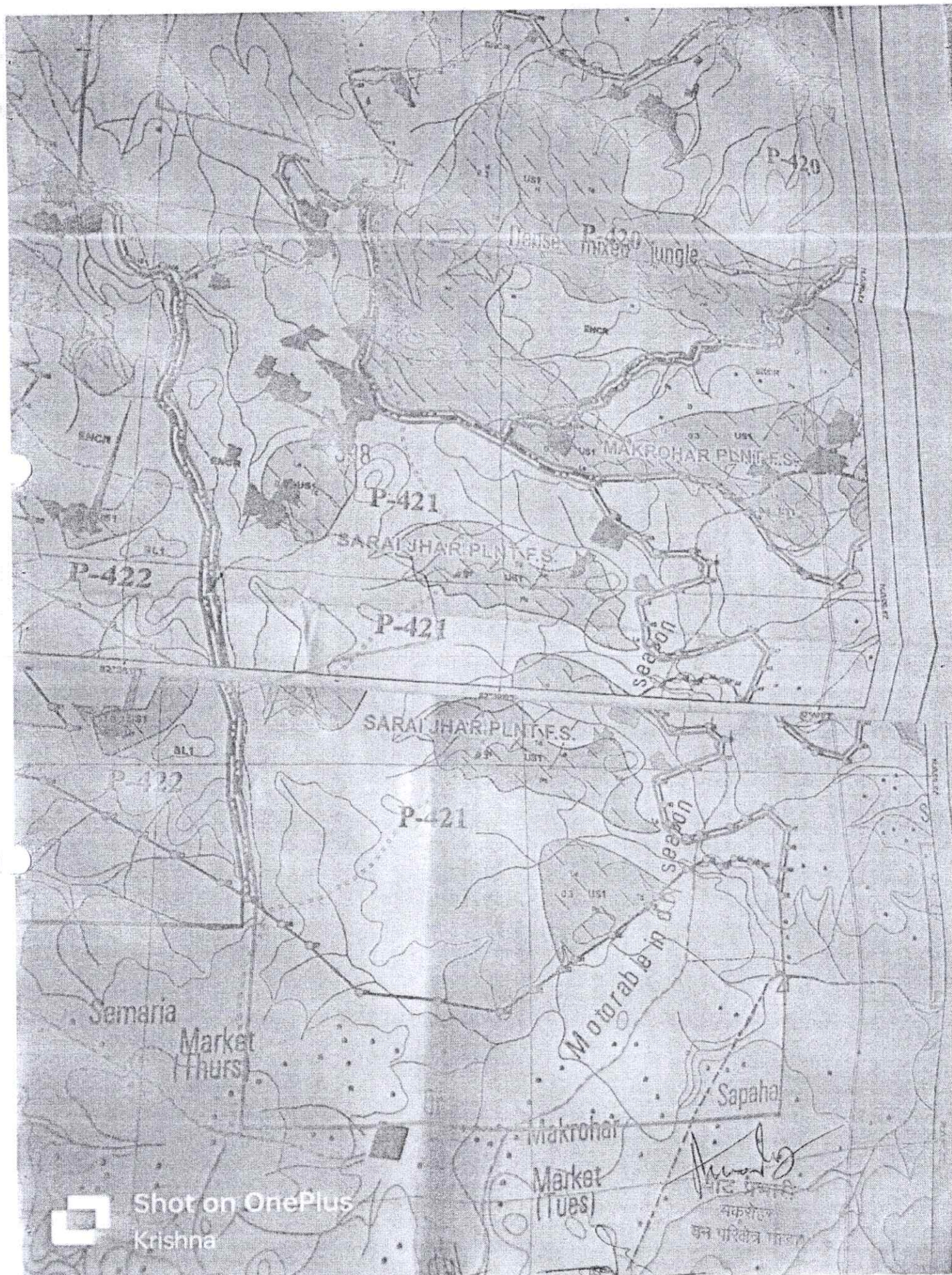
BHAGWAN FILLING STATION

Google Earth

STOCK MARKET

का प्रमाणित करी
का प्रमाणित करी

2000



समिति मुख्यालय :- मकरोहर

दिनांक :- 17.10.2023

समय :- 11:00 ए.एम.

बैठक प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी

आज दिनांक 17.10.2023 को बीट मकरोहर अन्तर्गत ग्राम वन समिति झांझीटोला के प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी की बैठक का आयोजन अध्यक्ष श्रीमती सुखमन्ती सिंह गोंड की अध्यक्षता में सम्पन्न किया गया। जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही व निम्न प्रस्ताव पारित किये गये।

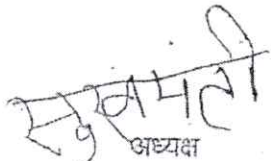
क्रमांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	पद	हस्ताक्षर
(1)	श्रीमती सुखमन्ती सिंह गोंड	अध्यक्ष	सही
(2)	श्री पन्नेलाल नाई	उपाध्यक्ष	सही
(3)	श्री महावीर सिंह गोंड	सदस्य	सही
(4)	श्री रुपनारायण सिंह	सदस्य	सही
(5)	श्री यशवंत सिंह	सदस्य	सही
(6)	श्री सभापती सिंह	सदस्य	सही
(7)	श्री राजकरन सिंह	सदस्य	सही

प्रस्ताव

ग्राम वन समिति झांझीटोला अन्तर्गत
बीट मकरोहर के वन कक्ष क्रमांक पी.
एफ. 421 में बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य
कराये जाने बावत

निर्णय

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया
गया है कि ग्राम वन समिति
झांझीटोला अन्तर्गत बीट
मकरोहर के वन कक्ष क्रमांक पी.
एफ. 421 में गोंड देवसर ग्रामीण
समूह जल प्रदाय योजना
अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण
कार्य कराया जाए।


अध्यक्ष

ग्राम वन समिति झांझीटोला


सचिव

ग्राम वन समिति झांझीटोला

